दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

परीक्षा समिति की आकस्मिक बैठक दिनांक 05/02/2018 की कार्यवृत्त

उपस्थिति:

1	प्रो0 विजय कृष्ण सिंह	कुलपति	अध्यक्ष
2	प्रो0 श्रीमती शैलजा सिंह	अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय	सदस्य
3	प्रो0 जितेन्द्र मिश्र	अधिष्ठाता, विधि संकाय	सदस्य
4	प्रो0 गोपी नाथ	अधिष्ठाता, वाणिज्य संकाय	सदस्य
5	प्रो0 राजेन्द्र सिंह	अधिष्ठाता, विज्ञान संकाय	सदस्य
6	डॉ0 अवधेश सिंह	अधिष्ठाता, कृषि संकाय	सदस्य
7	प्रो0 सी0पी0 श्रीवास्तव	आचार्य, दर्शनशास्त्र विभाग	सदस्य
8	डॉ0 श्रीमती छायारानी	उपाचार्य, संस्कृत विभाग	सदस्य
9	डॉ0 ओंकार नाथ मिश्र	प्राचार्य, श्री भगवान महावीर पी0जी0 कालेज, पावानगर, फाजिलनगर, कुशीनगर	सदस्य
10	डॉ0 प्रदीप कुमार सिन्हा	वरिष्ठ शिक्षक, उदित नारायण पी0जी0 कालेज, पडरौना, कुशीनगर	सदस्य
11	प्रो0 विनोद कुमार सिंह	अध्यक्ष, विश्वविद्यालय शिक्षक संघ	सदस्य
12	डॉ0 एस0एन0 शर्मा	अध्यक्ष, गुआक्टा	सदस्य
13	डॉ0 अमरेन्द्र कुमार सिंह	परीक्षा नियंत्रक	सचिव
14	प्रो0 रविशंकर सिंह	अधिष्ठाता, छात्र कल्याण	विशेष आमन्त्रित

1. (क) समीना खातून पुत्री अबुल कलाम बी0एड0 वर्ष–2013 अनुक्रमांक–6764260080, केन्द्र–अवध सेण्टर ऑफ एजुकेशनल फॉर वुमेन खड़जा, सेमरिहवा, सन्तकबीरनगर प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित होकर 278 अंक प्राप्त किया है एवं सिद्धान्त (Theory) के परीक्षा में सम्मिलित नहीं है। छात्रा वर्ष–2014 में भूतपूर्व छात्र के रूप में परीक्षा में सम्मिलित है। बी0एड0 वर्ष–2014, अनुक्रमांक–7764260074 का परीक्षाफल इस आधार पर रोक दिया गया है कि छात्रा वर्ष–2013 में सिद्धान्त के परीक्षा में सम्मिलित नहीं है, इसलिए वर्ष–2014 की परीक्षा में भूतपूर्व छात्रा के लिए अर्ह नही है।

छात्रा द्वारा वर्ष–2014 के परीक्षाफल की मांग की गयी है छात्रा के बी0एड0 वर्ष–2014 के परीक्षाफल घोषित करने पर विचार।

निर्णयः **समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि समीना खातून पुत्री अबुल कलाम बी0एड0 वर्ष–2014, अनुक्रमांक–7764260074 का परीक्षाफल घोषित कर दिया जाय तथा भविष्य में इसे नज़ीर न माना जाय।**

(ख) रीना चतुर्वेदी बी0पी0एड0 वर्ष–2014, अनुक्रमांक–7754170011, परीक्षा केन्द्र–श्रीमती प्रभा देवी महाविद्यालय खलीलाबाद संतकबीरनगर से सैद्धांतिक विषय के एक पेपर में केवल सम्मिलित हुई हैं एवं वर्ष–2015 की बी0पी0एड0 परीक्षा अनुक्रमांक–1530754170001 से भूतपूर्व छात्रा के रूप में सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित हुई हैं परीक्षा सामान्य अनुभाग ने इस आधार पर इनका परीक्षाफार्म निरस्त कर दिया कि वे भूतपूर्व छात्रा के रूप में अर्ह नहीं हैं छात्रा के प्रत्यावेदन के क्रम में परीक्षाफल घोषित करने पर विचार।

निर्णयः **समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि रीना चतुर्वेदी, बी0पी0एड0 वर्ष–2015, अनुक्रमांक–1530754170001 का परीक्षाफल घोषित कर दिया जाय तथा भविष्य में इसे नज़ीर न माना जाय।**

(ग) पंकज कुमार आनन्द एम0एस0 आर्थोपेडिक्स वर्ष–1994, बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर से उत्तीर्ण हैं। इनके द्वारा प्रत्यावेदन दिया गया है कि सारणीयन पंजिका में मेरे पिता का नाम एस0आर0 आनन्द के स्थान पर बी0आर0 आनन्द अंकित हैं, जबकि सारणीयन पंजिका में पिता का नाम बी0आर0 आनन्द के स्थान पर **एस0आर0 आनन्द अंकित होना चाहिए।** सारणीयन पंजिका में पिता का नाम संशोधन कर अंकतालिका एवं उपाधि निर्गत किया जाय, साक्ष्य के रूप में हाईस्कूल प्रमाण पत्र, पैनकार्ड, आधार कार्ड, शपथ पत्र आदि संलग्न है एवं बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज के सम्बन्धित सेक्शन से भी अग्रसारित है। पंकज कुमार आनन्द के पिता का नाम बी0आर0 आनन्द के स्थान पर एस0आर0 आनन्द के नाम संशोधन पर विचार।

निर्णयः **समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि पंकज कुमार आनन्द एम0एस0 आर्थोपेडिक्स वर्ष–1994, बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर के पिता का नाम बी0आर0 आनन्द के स्थान पर एस0आर0 आनन्द के नाम का संशोधन कर दिया जाय।**

(घ) दीक्षा मणि त्रिपाठी पुत्री शैलेश मणि त्रिपाठी ने अपना नाम बदलकर दीक्षा मणि त्रिपाठी पुत्री शैलेष मणि त्रिपाठी कर लिया है। इन्होंने नाम बदलने के क्रम में हाईस्कूल एवं इण्टरमिडिएट के प्रमाण पत्र में अपना

नाम दीक्षा मणि त्रिपाठी से दीक्षा मणि त्रिपाठी करा लिया है और मांग किया है कि मेरे स्नातक भाग एक, दो और तीन केन्द्र गंगोत्री देवी पी0जी0 कालेज, गोरखपुर, एल0एल–बी0 सेण्ट एण्ड्रयूज कालेज, गोरखपुर से उत्तीर्ण प्रमाण पत्र में एवं सारणीयन पंजिका में दीक्षा मणि त्रिपाठी से दीक्षा मणि त्रिपाठी नाम संशोधन कर अंकतालिका एवं उपाधि निर्गत की जाय। साक्ष्य के रूप में हाईस्कूल एवं इण्टरमिडिएट का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं शपथ पत्र आदि संलग्न है। साथ ही क्षेत्रीय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी का नाम संशोधन सम्बन्धी आदेश भी संलग्न है। दीक्षा मणि त्रिपाठी पुत्री शैलेश मणि त्रिपाठी से दीक्षा मणि त्रिपाठी पुत्र शैलेष मणि त्रिपाठी के नाम संशोधन पर विचार।

निर्णयः समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि क्षेत्रीय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 क्षेत्रीय कार्यायल, वाराणसी का नाम संशोधन सम्बन्धी आदेश के क्रम में दीक्षा मणि त्रिपाठी पुत्री शैलेश मणि त्रिपाठी के नाम के स्थान पर दीक्षा मणि त्रिपाठी पुत्र शैलेष मणि त्रिपाठी के नाम का संशोधन कर दिया जाय।

(ड़) रिया आर्या पत्नी रितेश कुमार वर्ष–2017 बी0ए0 भाग एक अनुक्रमांक–1720017090024, कन्द्र– बाबू जंगी सिंह डिग्री कालेज, बढ़याचौक, गोरखपुर का परीक्षाफल घोषित कर दिया गया है। छात्रा के हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट के प्रमाण पत्र में नाम कु0 उजमा अफरीन पुत्री असरार हुसैन माता रईस फातमा अंकित है। छात्रा ने अपना नाम परिवर्तित कर हिन्दू विधि से विवाह रितेश कुमार से कर लिया है एवं हिन्दू मैरेज सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया है, छात्रा द्वारा हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट का प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, आधार कार्ड, रजिस्ट्रार हिन्दू मैरेज, सब–डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से निर्गत सर्टिफिकेट, आर्य समाज गोरखपुर (बक्शीपुर), गोरखपुर उत्तर प्रदेश द्वारा विवाह प्रमाण पत्र आदि संलग्न है। छात्रा का विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक प्रथम वर्ष का घोषित परीक्षाफल परीक्षा समिति के अनुमोदनार्थ/सूचनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णयः समिति रिया आर्या पत्नी रितेश कुमार वर्ष–2017 बी0ए0 भाग एक अनुक्रमांक–1720017090024, केन्द्र– बाबू जंगी सिंह डिग्री कालेज, बढ़याचौक, गोरखपुर के परीक्षाफल घोषित होने से अवगत हुई।

(च) कु0 सुमन त्रिपाठी पुत्री श्री विन्ध्याचल त्रिपाठी एम0ए0 (हिन्दी) अंतिम वर्ष–1998, अनुक्रमांक–62764, केन्द्र–शिवहर्ष किसान पी0जी0 कालेज बस्ती ने प्रत्यावेदन किया है कि परीक्षा फार्म भरत समय विवाह होने के कारण में अपना नाम श्रीमती सुमन पाण्डेय पत्नी प्रदीप पाण्डेय परीक्षा फार्म में भर दिया था, जिसके कारण एम0ए0 की अंकतालिका एवं सारणीयन पंजिका में श्रीमती सुमन पाण्डेय पत्नी प्रदीप पाण्डेय अंकित हो गया है।

अतः श्रीमती सुमन पाण्डेय पत्नी प्रदीप पाण्डेय के स्थान पर कु0 सुमन त्रिपाठी पुत्री विन्ध्याचल त्रिपाठी का नाम सारणीयन पंजिका में संशोधन कर अंकतालिका एवं उपाधि निर्गत की जाय। साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र, भारत निर्वाचन चुनाव आयोग पहचान पत्र, हाईस्कूल, इण्टरमिडिएट प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं एम0ए0 (हिन्दी) प्रथम वर्ष–1997 की अंकतालिका की छायाप्रति आदि संलग्न है। सुमन पाण्डेय पत्नी प्रदीप पाण्डेय के नाम संशोधन पर विचार।

निर्णयः समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि श्रीमती सुमन पाण्डेय पत्नी प्रदीप पाण्डेय के स्थान पर कु0 सुमन त्रिपाठी पुत्री विन्ध्याचल त्रिपाठी का नाम सारणीयन पंजिका में संशोधन कर अंकतालिका एवं उपाधि निर्गत कर दिया जाय।

(छ) उत्तराखण्ड शासन द्वारा गठित एस0आई0टी0 टीम द्वारा फर्जी शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच के सम्बन्ध में (1). श्री सौकेन्द्र कुमार बी0एड0 वर्ष–1999, अनुक्रमांक–57209, परीक्षा केन्द्र–दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, (2). विमल कुमार बी0एड0 वर्ष–1999, अनुक्रमांक–57161, परीक्षा केन्द्र–दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर एवं (3). पूनम बी0एड0 वर्ष–1994, अनुक्रमांक–4043, परीक्षा केन्द्र–गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के प्रमाण पत्रों की जांच हेतु माननीय कुलपति जी द्वारा गठित त्रिसदस्यीय समिति–

1. प्रो0 शैलजा सिंह, अधिष्ठाता शिक्षा संकाय, दी0द0उ0गो0वि0वि0गोरखपुर –संयोजक
2. डॉ0 उदय सिंह, शिक्षा शास्त्र विभाग, दी0द0उ0गो0वि0वि0गोरखपुर –सदस्य
3. परीक्षा नियंत्रक, –अभिलेख प्रस्तुतकर्ता

द्वारा प्रस्तुत जांच आख्या/संस्तुति, पर विचार।

समिति की आख्या में उधृत है कि–

1. "समिति ने उत्तराखण्ड शासन द्वारा गठित एस0आई0टी0 द्वारा प्राप्त 1. श्री सौकेन्द्र कुमार, बी0एड0 वर्ष–1999, अनुक्रमांक–57209, 2. श्री विमल कुमार, बी0एड0 वर्ष–1999, अनुक्रमांक–57161 एवं 3. पूनम बी0एड0 वर्ष–1994, अनुक्रमांक–4043, परीक्षा केन्द्र क्रमशः दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के अंकपत्रों की मिलान/जांच इससे सम्बन्धित विश्वविद्यालय में उपलब्ध अभिलेखों से की गयी तथा निर्णय लिया गया कि उपरोक्त सम्बन्धित सारणीयन पंजिका

विश्वविद्यालय के बी0एड0 विभाग से मंगाकर समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय ताकि वस्तु स्थिति स्पष्ट हो सके, समिति के निर्णय के आलोक में अधिष्ठाता शिक्षा संकाय को पत्र संख्या–1472/प0नि0का0/2017 दिनांक 04/12/2017 द्वारा पत्र प्रेषित कर सम्बन्धित सारणीयन पंजिका विश्वविद्यालय बी0एड0 विभाग से माँग की गयी तथा विश्वविद्यालय बी0एड0 विभाग द्वारा उक्त सारणीयन पंजिका उपलब्ध करायी गयी।

2. समिति द्वारा विश्वविद्यालय अभिलेख कक्ष (Record room) के सारणीयन पंजिका (Tabulation Chart) व विश्वविद्यालय बी0एड0 विभाग (Department) की सारणीयन पंजिकाओं का विस्तृत अवलोकन किया गया तथा अवलोकनोपरान्त यह तथ्य संज्ञान में आया कि–

(क)विश्वविद्यालय के अभिलेख कक्ष की सारणीयन पंजिका में श्री सौकेन्द्र कुमार, बी0एड0 वर्ष–1999, अनुक्रमांक–57209 का नाम मूल रिकार्ड खुरचकर/टेम्परिंग कर बाद में नाम अंकित किया गया है।

जबकि विश्वविद्यालय के बी0एड0 विभाग की सारणीयन पंजिका में उक्त अनुक्रमांक पर योगेश ओझा पुत्र श्री रामचन्द्र ओझा का नाम मूलतः अंकित है तथा परीक्षाफल सिद्धान्त (थियोरी) में 273/500 अंक पाकर द्वितीय श्रेणी एवं प्रयोगात्मक (प्रैक्टिकल) में 121/200 अंक पाकर प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण दर्ज है।

(ख)विश्वविद्यालय अभिलेख कक्ष की सारणीयन पंजिका में श्री विमल कुमार बी0एड0 वर्ष–1999 अनुक्रमांक–57161 पर नाम अंकित नही है। इस अनुक्रमांक पर खुरचकर कु0 वन्दना सिंह पुत्री श्री राम निरंजन सिंह का नाम अंकित किया गया है।

जबकि विश्वविद्यालय बी0एड0 विभाग की सारणीयन पंजिका में उक्त अनुक्रमांक पर राकेश पाण्डेय पुत्र श्री जितेन्द्र पाण्डेय का नाम मूलतः अंकित है तथा परीक्षाफल कॉलम में परीक्षाफल निरस्त अंकित है।

(ग)विश्वविद्यालय अभिलेख कक्ष की सारणीयन पंजिका में पूनम बी0एड0 वर्ष–1994, अनुक्रमांक–4043 से सम्बन्धित सारणीयन पंजिका का पेज संदिग्ध/पेज बदला हुआ प्रतीत होता है। जबकि विश्वविद्यालय बी0एड0 विभाग की सारणीयन पंजिका में उक्त अनुक्रमांक पर चन्द्रशेखर प्रसाद पुत्र श्री सोमई राम तथा परीक्षाफल कॉलम योग सिद्धान्त में फेल तथा परीक्षाफल कॉलम प्रयोगात्मक में 116/200 अंक के साथ द्वितीय श्रेणी (II) अंकित है।

सम्पूर्ण तथ्यों के अभिलेखीय परीक्षण से समिति इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि–

विश्वविद्यालय के अभिलेख कक्ष की सारणीयन पंजिका में श्री शौकेन्द्र कुमार बी0एड0 वर्ष–1999, अनुक्रमांक–57209, श्री विमल कुमार बी0एड0 वर्ष–1999, अनुक्रमांक–57161 खुरचकर/टेम्परिंग कर नाम अंकित किया गया है एवं पूनम बी0एड0 वर्ष–1994, अनुक्रमांक–4043 का पेज पूर्णतया संदिग्ध/पेज बदला हुआ है।

विश्वविद्यालय बी0एड0 विभाग (Department) की सारणीयन पंजिका में–

1. बी0एड0 वर्ष–1999 अनुक्रमांक–57209 पर योगेश ओझा पुत्र श्री रामचन्द्र ओझा का नाम अंकित है।
2. बी0एड0 वर्ष–1999, अनुक्रमांक–57161 पर राकेश पाण्डेय पुत्र श्री जितेन्द्र पाण्डेय का नाम अंकित है तथा परीक्षाफल कॉलम में परीक्षाफल निरस्त दर्ज है।
3. पूनम बी0एड0 वर्ष–1994, अनुक्रमांक–4043 पर चन्द्रशेखर प्रसाद पुत्र श्री सोमई राम तथा परीक्षाफल कॉलम योग सिद्धान्त में फेल तथा परीक्षाफल कॉलम प्रयोगात्मक में 116/200 अंक पाकर द्वितीय श्रेणी अंकित है।

इन तीनों छात्रों का अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र पूर्णतया इस आधार पर फर्जी है कि विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी परीक्षा का सारणीयन पंजिका दो प्रतियों में बनती है। जिसकी एक प्रति विश्वविद्यालय अभिलेख कक्ष में तथा द्वितीय प्रति विश्वविद्यालय के विभागों में/सम्बन्धित महाविद्यालयों में रहता है।

अतः अभिलेखीय दस्तावेजों के परीक्षण से समिति इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि–

1. (क) श्री शौकेन्द्र कुमार बी0एड0 वर्ष–1999, अनुक्रमांक–57209 एवं श्री विमल कुमार बी0एड0 वर्ष–1999, अनुक्रमांक–57161, केन्द्र–दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर का अंकपत्र/प्रमाण पत्र पूर्णतया फर्जी है तथा निरस्त किए जाने योग्य है।

(ख) पूनम बी0एड0 वर्ष–1994, अनुक्रमांक–4043, परीक्षा केन्द्र–गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर का अंकपत्र/प्रमाण पत्र पूर्णतया फर्जी हैं तथा निरस्त किए जाने योग्य है।

अतः इन तीनों छात्रों के प्रमाण पत्र फर्जी होने के सम्बन्ध में एस0आई0टी0 उत्तराखण्ड को सूचित किया जाना उचित होगा।

2. (क) विश्वविद्यालय केन्द्र का बी0एड0 वर्ष–1999 एवं 1994 की सारणीयन पंजिका जो अभिलेख कक्ष में है, के साथ–साथ विभागीय सारणीयन पंजिका की प्रमाणित प्रति भी विश्वविद्यालय अभिलेख कक्ष में रखी जाय एवं आगे इन सत्रों के छात्रों के अभिलेख सत्यापन के समय दोनों सारणीयन पंजिकाओं को देखकर ही सत्यापन पत्र निर्गत किए जायं।

(ख) इस संदर्भ में विश्वविद्यालय अभिलेख कक्ष की बी0एड0 वर्ष–1999 एवं बी0एड0 वर्ष–1994 से सम्बन्धित सारणीयन पंजिकाओं में की गयी टेम्परिंग आदि के सम्बन्ध में जांच हेतु एक अलग से समिति गठित करने की संस्तुति करती है।"

निर्णयः परीक्षा समिति ने गठित समिति द्वारा प्रस्तुत जांच आख्या/संस्तुतियों को गहन विचारोपरान्त स्वीकार करते हुए निम्नवत निर्णय लिया–

(i) श्री शौकेन्द्र कुमार बी0एड0 वर्ष–1999, अनुक्रमांक–57209, श्री विमल कुमार बी0एड0 वर्ष–1999, अनुक्रमांक–57161, केन्द्र–दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर एवं पूनम बी0एड0 वर्ष–1994, अनुक्रमांक–4043, परीक्षा केन्द्र–गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर का अंकपत्र/प्रमाण पत्र पूर्णतया फर्जी पाये जाने के कारण अंकपत्र एवं प्रमाणपत्र निरस्त की जाती है।

(ii) इन तीनों छात्रों के प्रमाण पत्र फर्जी होने की सूचना से एस0आई0टी0 उत्तराखण्ड को सूचित कर दी जाय।

(iii) विश्वविद्यालय केन्द्र का बी0एड0 वर्ष–1999 एवं 1994 की सारणीयन पंजिका जो अभिलेख कक्ष में है, के साथ–साथ विभागीय सारणीयन पंजिका की प्रमाणित प्रति भी विश्वविद्यालय अभिलेख कक्ष में रखी जाय एवं आगे इन सत्रों के छात्रों के अभिलेख सत्यापन के समय दोनों सारणीयन पंजिकाओं को देखकर ही प्रभारी अभिलेख कक्ष द्वारा सत्यापन पत्र निर्गत किए जायं।

(iv)विश्वविद्यालय अभिलेख कक्ष की बी0एड0 वर्ष–1999 एवं बी0एड0 वर्ष–1994 से सम्बन्धित उपर्युक्त अनुक्रमांक वाली सारणीयन पंजिकाओं में की गयी टेम्परिंग आदि के सम्बन्ध में जांच हेतु एक अलग से समिति गठित की जाय।

(ज) कु0 सुनैना प्रजापति, बी0ए0 भाग तीन वर्ष–2013 की परीक्षा अनुक्रमांक–6111150268, विषय–समाज शास्त्र एवं हिन्दी के तीनों प्रश्नपत्रों की परीक्षा में मदन मोहन मालवीय पी0जी0 कालेज, भाटपाररानी, देवरिया से सम्मिलित हैं। हिन्दी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रश्नपत्र उत्तरपुस्तिका न मिलने के कारण इनका हिन्दी विषय के तीनों प्रश्नपत्र में अंक के अभाव में परीक्षाफल अपूर्ण है। सुनैना प्रजापति ने अपने प्रतिवेदन दिनांक 06/06/2017 के द्वारा आई0जी0आर0एस0 (जनसुनवाई के तहत) संदर्भ संख्या–40019017001332 से मुख्यमंत्री कार्यालय लखनऊ में परीक्षाफल की मांग की है। प्रकरण परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 15/11/2017 के बिन्दु संख्या–17 में लिए गये निर्णय के क्रम में सुनैना प्रजापति को हिन्दी विषय के तीनों प्रश्नपत्रों के अंक किस आधार पर दिया जाय इस हेतु निम्न की गठित समिति–

1. अधिष्ठाता, विज्ञान संकाय, दी0द0उ0गो0वि0गोरखपुर – संयोजक
2. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, दी0द0उ0गो0वि0गोरखपुर – सदस्य
3. परीक्षा नियंत्रक – सदस्य/सचिव

समिति द्वारा निम्नवत संस्तुतियां की गयी–

1. आनलाईन परीक्षाफार्म भरते समय सुनैना प्रजापति के परीक्षा आवेदन फार्म में समाज शास्त्र एवं राजनीति शास्त्र विषय का चयन किया गया था। सारणीयन पंजिका में समाज शास्त्र विषय के तीनों प्रश्नपत्रों का अंक अंकित है। किन्तु राजनीति शास्त्र के कॉलम में अंक अपूर्ण है। परीक्षा वर्ष–2013 सम्पन्न होने के लगभग दो वर्ष बाद महाविद्यालय स्तर से प्राप्त उसके आवेदन दिनांक 07/07/2015 से पता चला कि छात्रा ने विश्वविद्यालय को बिना सूचित किए महाविद्यालय स्तर पर विषय परिवर्तन कर राजनीति शास्त्र विषय की जगह हिन्दी विषय के तीनों प्रश्नपत्रों में परीक्षा दी है।

2. वर्ष–2013 परीक्षा के मूल्यांकन उत्तरपुस्तिका के हार्ड डिस्क (अंक चिट का डिजिटलाइज्ड प्रारूप–Degitalized Form of Award-List) में हिन्दी विषय के किसी प्रश्नपत्र में अनुक्रमांक–6111150268 का अंक उपलब्ध नहीं है।

3. परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 29/07/2011 के संकल्प संख्या 'ग' में लिए गये निर्णयानुसार परीक्षाफल घोषित होने की तिथि से 60 दिन (दो माह) के अन्दर अपूर्ण परीक्षाफलों से सम्बन्धित परीक्षार्थियों से प्राप्त प्रतिवेदनों पर ही विश्वविद्यालय स्तर पर विचार किया जाना है। निर्धारित अवधि के पश्चात आवेदन पत्र का उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय का नहीं है।

4. कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 22/02/1981 के संदर्भ संख्या–17 में विश्वविद्यालय प्रपत्रों एवं अभिलेखों को रखने की अवधि निश्चित करने के प्रस्ताव (विडिंग सिड्यूल) के क्रम संख्या–14 के अनुसार मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं को परीक्षा की अंतिम तिथि से एक वर्ष तक ही रखे जाने की व्यवस्था है।

5. महाविद्यालय से प्राप्त बी०ए० भाग तीन वर्ष–2013 हिन्दी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रश्नपत्र की महाविद्यालय से प्राप्त पी–7 की छायाप्रति में सुनैना प्रजापति का उपस्थिति (हस्ताक्षर) एवं अनुक्रमांक क्रमिक स्थान पर अंकित नहीं है। यह भी प्रतीत होता है कि परीक्षा के समय उक्त छात्रा की आसन (सीट) की व्यवस्था कहीं अन्यत्र की गयी थी।

6. परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 26/02/2014 के संकल्प संख्या–3 में लिए गये निर्णय में किसी भी परीक्षार्थी के एक प्रश्नपत्र में ही औसत अंक प्रदान करने की व्यवस्था है।

अतएव समिति इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि तीन वर्ष बीत जाने के कारण उपरोक्त स्थितियों के दृष्टिगत कु0 सुनैना प्रजापति का बी०ए० भाग तीन सत्र 2012–13 परीक्षा वर्ष–2013, अनुक्रमांक– 6111150268 पर हिन्दी प्रथम प्रश्नपत्र, द्वितीय प्रश्नपत्र एवं तृतीय प्रश्नपत्र में अंक देने का कोई आधार नहीं बन पा रहा है।

निर्णयः परीक्षा समिति ने गठित समिति की प्रस्तुत जांच आख्या/संस्तुति का अवलोकन किया तथा गहन विचारोपरान्त गठित समिति की संस्तुतियों के अनुसार कु0 सुनैना प्रजापति को बी०ए० भाग तीन वर्ष–2013 अनुक्रमांक–6111150268 पर हिन्दी प्रथम प्रश्नपत्र, द्वितीय प्रश्नपत्र एवं तृतीय प्रश्नपत्र में अंक देने का कोई आधार नहीं बन पा रहा है। चूँकि महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत पी–7 के अनुसार कु0 सुनैना प्रजापति बी०ए० भाग तीन वर्ष–2013 अनुक्रमांक–6111150268 पर हिन्दी प्रथम प्रश्नपत्र, द्वितीय प्रश्नपत्र एवं तृतीय प्रश्नपत्र की परीक्षा में सम्मिलित हैं तथा बी०ए० प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण हैं इन परिस्थितियों के दृष्टिगत छात्रहित में समिति ने निर्णय लिया कि सुनैना प्रजापति को वर्ष–2018 की परीक्षा में बी०ए० भाग तीन हिन्दी विषय के तीनों प्रश्नपत्रों में सम्मिलित करा लिया जाय तथा भविष्य में इसे नजीर न माना जाय।

(झ) श्री महेश तिवारी, प्रवन्धक, विश्वनाथ तिवारी, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, निरूपुर, बलिया के पत्र दिनांक 23/08/2017 द्वारा श्री जयप्रकाश मिश्र पुत्र श्री महावीर मिश्र के बी०एड0 वर्ष–1987, अनुक्रमांक–19477, परीक्षा केन्द्र–श्री मुरली मनोहर टाउन महाविद्यालय, बलिया के अभिलेखों की सत्यता के सम्बन्ध में मांगी गयी सत्यापन आख्या एवं इससे सम्बन्धित सम्पूर्ण अभिलेखों की विस्तृत जांच हेतु माननीय कुलपति द्वारा गठित जांच समिति–

1. अधिष्ठाता, विधि संकाय, दी0द0उ0गो0वि0वि0गोरखपुर – संयोजक।
2. प्रो0 एन0पी0 भोक्ता, शिक्षा संकाय, दी0द0उ0गो0वि0वि0गोरखपुर – सदस्य।
3. परीक्षा नियंत्रक – अभिलेख प्रस्तुतकर्ता

द्वारा प्रस्तुत जांच आख्या/संस्तुति–

1. समिति द्वारा श्री जयप्रकाश मिश्र पुत्र श्री महावीर मिश्र के बी0एड0 वर्ष–1987, अनुक्रमांक–19477, परीक्षा केन्द्र–श्री मुरली मनोहर टाउन महाविद्यालय, बलिया का विश्वविद्यालय अभिलेख कक्ष में उपलब्ध सारणीयन पंजिका का अवलोकन किया गया अवलोकनोपरान्त समिति ने पाया कि बी0एड0 तृतीय प्रश्नपत्र में (शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन तथा प्रारम्भिक सांख्यिकी) एवं चतुर्थ प्रश्नपत्र (शैक्षिक प्रशासन एवं स्वास्थ्य शिक्षा) के अंकों में ओवर राइटिंग कर अंक बढ़ाये गये हैं तथा सिद्धान्त योग 171 काटकर 183 अंक चढ़ाया गया है।

2. श्री महेश तिवारी, प्रवन्धक, विश्वनाथ तिवारी, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, निरूपुर, बलिया के पत्र दिनांक 23/08/2017 द्वारा श्री जयप्रकाश मिश्र पुत्र श्री महावीर मिश्र के बी0एड0 वर्ष–1987, अनुक्रमांक–19477, परीक्षा केन्द्र–श्री मुरली मनोहर टाउन महाविद्यालय, बलिया का अंकपत्र सत्यापन हेतु प्राप्त हुआ। कार्यालय द्वारा विश्वविद्यालय अभिलेख कक्ष में उपलब्ध सारणीयन पंजिका का सत्यापन हेतु जब अवलोकन किया गया तो सारणीयन पंजिका में उक्त अनुक्रमांक के अंकों में ओवर राइटिंग पायी गयी तब कार्यालय द्वारा निर्णय लिया गया परीक्षा नियंत्रक एवं कुलपति जी से आदेश लेकर महाविद्यालय से सारणीयन पंजिका मंगा लिया जाय। माननीय कुलपति जी के आदेश के क्रम में परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्राचार्य श्री मुरली मनोहर टाउन स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलिया से सारणीयन पंजिका की प्रमाणित छायाप्रति मंगवाने हेतु पत्रांक संख्या–1367/प0नि0का0/2017 दिनांक 28/10/2017 द्वारा सारणीयन पंजिका की मांग की गयी। प्राचार्य

द्वारा पत्रांक 475/सत्यापन/बी0एड0/2017–18 दिनांक 18/11/2017 द्वारा सारणीयन पंजिका की हस्ताक्षरित छायाप्रति प्राप्त हुआ।

3. समिति ने श्री मुरली मनोहर टाउन महाविद्यालय, बलिया से प्राप्त सारणीयन पंजिका का भी अवलोकन किया। अवलोकनोपरान्त समिति ने विश्वविद्यालय सारणीयन पंजिका एवं महाविद्यालय की सारणीयन पंजिका में कोई अन्तर नहीं पाया, बल्कि महाविद्यालय सारणीयन पंजिका में पत्रांक 239 दिनांक 17/10/1987 द्वारा तृतीय प्रश्न पत्र एवं चतुर्थ प्रश्न पत्र के अंकों को ओवर राइटिंग कर चढ़ाया गया एवं लघु हस्ताक्षर भी किया गया है। जैसा विश्वविद्यालय अभिलेख कक्ष के सारणीयन पंजिका में है। ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय के जिन लोगों द्वारा सारणीयन पंजिकाओं में अंक चढ़ाया गया है उसे ओवर राइटिंग न कर बल्कि उसे काटकर अंक चढ़ाना चाहिए था ताकि संदेह की स्थिति पैदा नहीं होती।

अतः अभिलेखीय दस्तावेजों के परीक्षण से समिति इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि–

(क) श्री जय प्रकाश मिश्र पुत्र श्री महावीर मिश्र बी0एड0 परीक्षा वर्ष–1987, अनुक्रमांक–19477, परीक्षा केन्द्र–श्री मुरली मनोहर टाउन महाविद्यालय, बलिया के अंकपत्र इस आधार पर सही है कि दोनों सारणीयन पंजिकाओं मे कोई अन्तर नहीं है, तथा महाविद्यालय के सारणीयन पंजिका में पत्रांक भी अंकित है एवं बढ़ाये गये अंक पर लघु हस्ताक्षर भी है।

(ख) तदक्रम में प्रवन्धक, श्री विश्वनाथ तिवारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नीरूपुर बलिया के श्री जय प्रकाश मिश्र पुत्र श्री महावीर मिश्र के बी0एड0 वर्ष–1987, अनुक्रमांक–19477 का प्राप्त अंकपत्र का सत्यापन भेजा जा सकता है।

निर्णयः समिति ने गहन विचारोपरान्त, जांच समिति द्वारा प्रस्तुत संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए श्री जय प्रकाश मिश्र पुत्र श्री महावीर मिश्र के बी0एड0 वर्ष–1987, अनुक्रमांक–19477 के प्राप्त अंकपत्र का सत्यापन भेजने का निर्णय लिया।

(ञ) विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों की परीक्षाओं में जो अभ्यर्थी मोबाईल के साथ अनुचित साधन प्रयोग में पकड़े जाते हैं तथा अनुचित साधन प्रयोग निस्तारण समिति पकड़े गये माबाईल के रिपोर्ट के आधार पर मोबाइल फोन को अनुचित साधन सामग्री मानते हुए सम्बन्धित अभ्यर्थी का गतवर्ष का परीक्षाफल निरस्त कर देती है। अभ्यर्थी द्वारा अपने मोबाईल फोन मांग करने पर अभ्यर्थी को मोबाईल फोन वापस करने पर विचार।

निर्णयः विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों की परीक्षाओं में जो अभ्यर्थी मोबाईल के साथ अनुचित साधन प्रयोग में पकड़े जाते हैं तथा अनुचित साधन प्रयोग निस्तारण समिति पकड़े गये माबाईल के रिपोर्ट के आधार पर मोबाइल फोन को अनुचित साधन सामग्री मानते हुए सम्बन्धित अभ्यर्थी का सम्बन्धित वर्ष का परीक्षाफल निरस्त कर देती है। इस प्रक्रिया में समय लगता है एवं कभी–कभी प्रकरण मा0 न्यायालय में भी रहता है, अतः समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि अभ्यर्थी द्वारा अपने मोबाईल फोन मांग करने पर, दो वर्ष पश्चात इस आशय का शपथ पत्र लेकर कि "अभ्यर्थी का प्रकरण मा0 न्यायालय में किसी रुप में लम्बित नहीं है, एवं इस मोबाइल का प्रयोग वह इस परीक्षा से सम्बन्धित किसी वाद में आगे प्रयोग नहीं करेगा," मोबाईल वापस कर दिया जाय।

(ट) समिति ने परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रस्तुत विन्दुओं पर विचार विमर्श के उपरान्त निम्नवत निर्णय लिया–

निर्णयः (i) *किसी छात्र ने यदि आनलाईन परीक्षाफार्म भरते समय एक ही परीक्षाफार्म के सापेक्ष दो बार परीक्षा शुल्क आनलाईन जमा कर दिया है, ऐसे छात्र का एक परीक्षा शुल्क वापस कर दिया जाय। लेकिन यदि कोई छात्र किसी भी कारण से दो परीक्षा फार्म अलग–अलग भरकर दोनों फार्म पर अलग अलग फीस जमा किया है, यानि फार्म रजिस्ट्रेशन दो है तो ऐसी स्थिति में जमा फीस वापस नहीं की जायेगी।*

(ii) समिति इस तथ्य से अवगत हुई कि सारणीयन पंजिका एवं आवंटित अनुक्रमांक के रेन्ज उपलब्ध कराये जाने पर फर्जी मार्कशीट जारी होने के प्रकरण बढ़ सकते हैं। साथ ही यह भी विदित है कि जो छात्र सेवा में आते हैं उनका सम्बन्धित संस्था/फर्म द्वारा विश्वविद्यालय से नियमानुसार शुल्क जमा करा कर गोपनीय सत्यापन/वैरिफिकेशन कराया जाता है। अतः विश्वविद्यालय के सारणीयन पंजिका/आवंटित अनुक्रमांक के रेन्ज एवं परीक्षाफलों को विश्वविद्यालय का गोपनीय रिकार्ड मानते हुऐ किसी भी रूप में किसी अन्य को प्रदान न किया जाय।

(iii) शासन के आदेशानुसार समस्त विश्वविद्यालय के वित्तीय लेनदेन आनलाईन करने हेतु निर्देश प्रदान किया गया है, जिसके क्रम में महाविद्यालय द्वारा परीक्षा शुल्क आनलाईन ही देने हेतु आदेशित किया गया है। इस प्रक्रिया में प्रारम्भ में समय लगने के कारण कतिपय महाविद्यालय द्वारा अन्य व्यवस्था देने हेतु अनुरोध किया जा

रहा है। ऐसे महाविद्यालयों के अनुरोध पर आनलाईन फीस जमा करने हेतु, अतिरिक्त समय दी जा सकती है, लेकिन परीक्षा शुल्क आनलाईन ही जमा होंगे।

माननीय कुलपति जी के अनुमति से अन्य बिन्दुओं पर विचार–

1. वार्षिक परीक्षा वर्ष–2018 शुचिता व सकुशल सम्पन्न कराने हेतु उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–04/2018/101/सत्तर–1–2018–16 (9)/2018 उच्च शिक्षा अनुभाग–1 दिनांक 01 फरवरी, 2018 से अवगत होना। इस शासनादेश के क्रम में विचारणीय बिन्दु–

निर्णयः परीक्षा समिति ने वार्षिक परीक्षा सुचारू रुप से सम्पन्न कराने हेतु शासनादेश से अवगत होते हुए सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि–

1. (क) (i). महिला महाविद्यालय में कुल छात्राओं की संख्या यदि 80 अथवा 80 से अधिक है तो उस महाविद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाया जाय।

(ii). सहशिक्षा (Co-Education) वाले महाविद्यालयों में यदि छात्राओं की संख्या 80 अथवा 80 से अधिक है तो उस सहशिक्षा (Co-Education) के महाविद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाया जाय।

(iii) जो महाविद्यालय स्वयं लिखकर दे रहे हैं कि वे परीक्षा कराने में असमर्थ है, उन महाविद्यालयों का परीक्षा केन्द्र नहीं बनाये जाने का कारण स्पष्ट होने पर कुलपति जी की अनुमति पर ही परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय।

(ख) परीक्षा केन्द्र निर्धारण में दूरी के मानकानुसार महाविद्यालय की उपलब्धता न होने पर परिस्थितिवश अगर किसी परीक्षा केन्द्र को स्वकेन्द्र रखना पड़ता है तो उस केन्द्र पर एक अलग से पर्यवेक्षक विश्वविद्यालय द्वारा तैनात किया जाय। इस तरह के अन्य सभी परिस्थितियों में निर्णय लेने हेतु माननीय कुलपति जी को अधिकृत किया गया।

(ग) परीक्षा केन्द्र निरीक्षण हेतु समिति गठन करने के लिए माननीय कुलपति जी को अधिकृत किया गया।

(घ) परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु समिति गठित करने तथा गठित समिति के संस्तुतियों के अनुसार परीक्षा केन्द्र के सम्बन्ध में निर्णय लेने हेतु माननीय कुलपति जी को अधिकृत किया गया।

परीक्षा नियंत्रक | कुलपति

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

परीक्षा समिति की आकस्मिक बैठक दिनांक 23/02/2018 की कार्यवृत्त

उपस्थिति:

1	प्रो0 विजय कृष्ण सिंह	कुलपति	अध्यक्ष
2	प्रो0 एस0के0 दीक्षित	अधिष्ठाता, कला संकाय	सदस्य
3	प्रो0 जितेन्द्र मिश्र	अधिष्ठाता, विधि संकाय	सदस्य
4	प्रो0 गोपी नाथ	अधिष्ठाता, वाणिज्य संकाय	सदस्य
5	प्रो0 राजेन्द्र सिंह	अधिष्ठाता, विज्ञान संकाय	सदस्य
6	डॉ0 अवधेश सिंह	अधिष्ठाता, कृषि संकाय	सदस्य
7	डॉ0 श्रीमती छायारानी	उपाचार्य, संस्कृत विभाग	सदस्य
8	डॉ0 अनुराग द्विवेदी	प्रवक्ता, समाज शास्त्र विभाग	सदस्य
9	डॉ0 ओंकार नाथ मिश्र	प्राचार्य, श्री भगवान महावीर पी0जी0 कालेज, पावानगर, फाजिलनगर, कुशीनगर	सदस्य
10	प्रो0 विनोद कुमार सिंह	अध्यक्ष, विश्वविद्यालय शिक्षक संघ	सदस्य
11	डॉ0 एस0एन0 शर्मा	अध्यक्ष, गुआक्टा	सदस्य
12	डॉ0 अमरेन्द्र कुमार सिंह	परीक्षा नियंत्रक	सचिव
13	प्रो0 रविशंकर सिंह	अधिष्ठाता, छात्र कल्याण	विशेष आमन्त्रित

कार्यसूची– 1. परीक्षा केन्द्र निर्धारण के सम्बन्ध में आपत्तियों आदि पर विचार–

1. (क) महाविद्यालयों में नकल न हो इस क्रम में अधिक छात्र संख्या वाले अनुदानित महाविद्यालयों को अन्य महाविद्यालय में परीक्षा केन्द्र बनाने में आ रही व्यहारिक समस्याएं, राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों का विगत वर्षों में नकल आरोपित न रहने व शुचिता पूर्वक परीक्षा कराने, विश्वविद्यालय की परीक्षा कराने में सहयोग करने एवं उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय के अन्य विश्वविद्यालय यथा कानपुर विश्वविद्यालय, बरेली विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विश्वविद्यालय, पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, आदि विश्वविद्यालय अपने यहाँ राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों की परीक्षा अपने परीक्षा केन्द्र पर ही कराने का निर्णय लिया जा चुका है, के दृष्टिगत विश्वविद्यालय स्तर पर गठित केन्द्र निर्धारण समिति ने वर्ष–2018 की वार्षिक परीक्षा में राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों की परीक्षा अपने केन्द्र पर ही कराये जाने की संस्तुति की है जिस पर कुलपति स्तर से अनुमोदन प्राप्त है, पर परीक्षा समिति द्वारा विस्तृत चर्चा हुई। परीक्षा समिति ने केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में कुलपति जी के निर्णय को परीक्षा के शुचिता के साथ–साथ व्यवहारिक निर्णय मानते हुए सर्वसम्मति से स्वीकार किया।

(ख) परीक्षा समिति ने किसी भी स्ववित्तपोषित महाविद्यालय को स्वकेन्द्र न बनाने का निर्णय लिया तथा सरस्वती देवी महाविद्यालय, खड्डा, कुशीनगर के प्रकरण में परीक्षा केन्द्र निर्धारण समिति को निर्देशित किया कि इस महाविद्यालय को भी यथा सम्भव जो भी करीबी महाविद्यालय हो उस परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा कराया जाय।

(ग) विश्वविद्यालय के तीन अनुदानित महाविद्यालय (1) सेण्ट एण्ड्रयूज, पी0जी0 कालेज, गोरखपुर (2) बी0आर0डी0पी0जी0 कालेज, देवरिया (3) बी0आर0डी0 आश्रम बरहज महाविद्यालय, देवरिया एवं एक स्ववित्त पोषित महाविद्यालय (4) केवला सुन्दर महाविद्यालय, गोरखपुर के प्रबन्धन तंत्र में विवाद होने के बावजूद भी यहाँ प्रबन्ध तंत्र परीक्षा सुचारू रूप से कराते आ रहे हैं, पर ये समस्त बड़े महाविद्यालय हैं, अतः सुचारू रूप से परीक्षा के दृष्टिगत इन्हें भी परीक्षा केन्द्र बनाया जाय।

(घ) केन्द्र निर्धारण के सम्बन्ध में भारतीय कृषक महाविद्यालय, पिपरसण्डी, गोरखपुर व राणा प्रताप महाविद्यालय के प्रत्यावेदन को परीक्षण कर निस्तारित करने हेतु परीक्षा समिति ने परीक्षा केन्द्र निर्धारण समिति को अधिकृत कर दिया।

(ड़) सकुशल परीक्षा हेतु केन्द्र निर्धारण/केन्द्र निरस्त करने या केन्द्राध्यक्ष बनाने के सम्बन्ध में किसी भी विशेष परिस्थिति में कोई भी निर्णय लेने के लिए समिति ने माननीय कुलपति जी को अधिकृत किया।

परीक्षा नियंत्रक

कुलपति

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

परीक्षा समिति की आकस्मिक बैठक दिनांक 19/04/2018 का कार्यवृत्त

उपस्थित:

1	प्रो0 विजय कृष्ण सिंह	कुलपति	अध्यक्ष
2	प्रो0 एस0के0 दीक्षित	प्रतिकुलपति	सदस्य
3	प्रो0 अशोक कुमार श्रीवास्तव	अधिष्ठाता, कला संकाय	सदस्य
4	प्रो0 शैलजा सिंह	अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय	सदस्य
5	प्रो0 जितेन्द्र मिश्र	अधिष्ठाता, विधि संकाय	सदस्य
6	प्रो0 गोपी नाथ	अधिष्ठाता, वाणिज्य संकाय	सदस्य
7	प्रो0 हरिशरण	अधिष्ठाता, विज्ञान संकाय	सदस्य
8	डॉ0 अवधेश सिंह	अधिष्ठाता, कृषि संकाय	सदस्य
9	डॉ0 चितरंजन मिश्र	आचार्य, हिन्दी विभाग	सदस्य
10	डॉ0 सी0पी0 श्रीवास्तव	आचार्य, दर्शनशास्त्र विभाग	सदस्य
11	डॉ0 श्रीमती छायारानी	उपाचार्य, संस्कृत विभाग	सदस्य
12	डॉ0 ओंकार नाथ मिश्र	प्राचार्य, श्री भग0महा0पी0जी0का0, पावानगर, कुशीनगर	सदस्य
13	डॉ0 प्रदीप कुमार सिन्हा	व0शि0, उ0ना0 पी0जी0 कालेज, पडरौना, कुशीनगर	सदस्य
14	प्रो0 विनोद कुमार सिंह	अध्यक्ष, विश्वविद्यालय शिक्षक संघ	सदस्य
15	डॉ0 एस0एन0 शर्मा	अध्यक्ष, गुआक्टा	सदस्य
16	श्री शत्रोहन वैश्य	कुलसचिव	सदस्य
17	डॉ0 अमरेन्द्र कुमार सिंह	परीक्षा नियंत्रक	सचिव
18	प्रो0 शिवशंकर सिंह	अधिष्ठाता, छात्र कल्याण	विशेष आमन्त्रित

कार्यसूची–

1. (क) वार्षिक परीक्षा 2018 के बी0ए0/बी0एस–सी0 प्रथम वर्ष गणित के प्रथम प्रश्नपत्र के लीक/आउट होने के कारण माननीय कुलपति जी के आदेश के क्रम में परीक्षा स्थगित करने से सूचित होना एवं परीक्षा कराये जाने पर विचार–

निर्णय– वार्षिक परीक्षा 2018 के बी0ए0/बी0एस–सी0 प्रथम वर्ष गणित के प्रथम प्रश्नपत्र संकेतांक 331 की परीक्षा दिनांक 17.04.2018 के प्रथम प्रश्नपत्र दिनांक 16.04.2018 की रात्रि में सोशल मीडिया (व्हाट्सअप) पर आने (वायरल होने) के कारण प्रारम्भिक परीक्षण में प्रश्नपत्र समान पाये जाने के कारण यह परीक्षा स्थगित कर दी गयी। परीक्षा समिति ने इस संदर्भ में परीक्षा नियन्त्रक द्वारा कैण्ट थाने में दर्ज कराई गयी प्राथमिकी (दिनांक 17.04.2018) से एवं माननीय कुलपति जी द्वारा इस संदर्भ में गठित तथ्यान्वेषण (फैक्ट फाइंडिंग) समिति से अवगत हुई तथा इस समिति से शीघ्र आख्या देने की अपेक्षा की।

समिति ने विस्तृत विचारोपरान्त विश्वविद्यालय की गरिमा और छवि व परीक्षा की शुचिता बनाये रखने के दृष्टिगत सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि इस प्रकरण की जांच पुलिस विभाग की विशेष उच्चीकृत जांच एजेन्सी (एस.टी.एफ.) से कराई जाय। साथ ही बी0ए0/बी0एस–सी0 प्रथम वर्ष गणित के प्रथम प्रश्नपत्र (संकेतांक 331) की परीक्षा दिनांक 04.05.2018 को प्रातः सत्र में कराये जाने का निर्णय लिया।

(ख) वार्षिक परीक्षा 2018 के बी0ए0 द्वितीय वर्ष समाजशास्त्र प्रथम प्रश्नपत्र के लीक/आउट होने की सूचना इलेक्ट्रानिक मीडिया (ETV) पर प्रसारित हो रहे समाचार के क्रम में छात्रों और अभिभावकों के बीच फैले भ्रम एवं परीक्षा की शुचिता व विश्वसनीयता बनाये रखने हेतु स्थगित की गयी दिनांक 17.04.2018 की परीक्षा को कराये जाने पर विचार–

निर्णय– वार्षिक परीक्षा 2018 के बी0ए0 द्वितीय वर्ष समाजशास्त्र प्रथम प्रश्नपत्र के लीक/आउट होने की सूचना इलेक्ट्रानिक मीडिया (ETV) पर प्रसारित हो रहे समाचार के क्रम में छात्रों और अभिभावकों के बीच फैले भ्रम एवं परीक्षा की शुचिता व विश्वसनीयता बनाये रखने हेतु माननीय कुलपति जी द्वारा स्थगित की गयी परीक्षा से समिति अवगत हुई। बाद में सोशल मीडिया पर वायरल की गयी दिनांक 17.04.2018 बी0ए0 द्वितीय वर्ष के समाजशास्त्र प्रथम प्रश्नपत्र के प्रश्नों का विश्वविद्यालय सबल कक्ष में संरक्षित संदर्भित विषय के मूल प्रश्नपत्रों से मिलान करने पर पाया गया कि यह पूरी तरह फर्जी है।

समिति ने इसे भी जांच एजेन्सी के संज्ञान में लाने का निर्णय लिया। साथ ही उपरोक्त स्थगित की गयी बी0ए0 द्वितीय वर्ष समाजशास्त्र प्रथम प्रश्नपत्र की परीक्षा दिनांक 01 मई, 2018 को अपराह्न 2 बजे से 4 बजे तक सम्पन्न कराये जाने का निर्णय लिया गया।

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

) समिति ने बी०एड० वर्ष 2018 प्रथम एवं द्वितीय वर्ष तथा एम०एड० वर्ष 2018 की परीक्षा हेतु पूर्व की भांति अनुदानित महाविद्यालयों में परीक्षा केन्द्र बनाये जाने हेतु निर्णय लिया।

(vi) गोरखपुर विश्वविद्यालय के वे भूतपूर्व/अर्ह छात्र जो वर्तमान में सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय परिक्षेत्र के महाविद्यालय में अध्ययनरत हैं, जिनकी संख्या काफी कम हैं, की प्रायोगिक/मौखिकी परीक्षा छात्रहित के दृष्टिगत दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर में कराने का निर्णय लिया गया।

परीक्षा नियंत्रक

कुलपति

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 28/06/2018 की कार्यवृत्त

उपस्थित:

1	प्रो0 विजय कृष्ण सिंह	कुलपति	अध्यक्ष
2	प्रो0 एस0के0 दीक्षित	प्रतिकुलपति	सदस्य
3	प्रो0 जितेन्द्र मिश्र	अधिष्ठाता, विधि संकाय	सदस्य
4	प्रो0 गोपी नाथ	अधिष्ठाता, वाणिज्य संकाय	सदस्य
5	प्रो0 हरिशरण	अधिष्ठाता, विज्ञान संकाय	सदस्य
6	प्रो0 सुष्मिता सिंह	अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय	सदस्य
7	डॉ0 अवधेश सिंह	अधिष्ठाता, कृषि संकाय	सदस्य
8	प्रो0 चितरंजन मिश्र	आचार्य, हिन्दी विभाग	सदस्य
9	प्रो0 श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी	राजनीति शास्त्र विभाग	सदस्य
10	डॉ0 ओंकार नाथ मिश्र	प्राचार्य, श्री भ0म0हा0पी0जी0का0, पावानगर, कुशीनगर	सदस्य
11	डॉ0 स्वयं प्रकाश लाल श्रीवास्तव	वरिष्ठ शिक्षक, बापू डिग्री कालेज, पीपीगंज, गोरखपुर	सदस्य
12	डॉ0 अमरेन्द्र कुमार सिंह	परीक्षा नियंत्रक	सचिव

बैठक के प्रारम्भ में माननीय कुलपति जी ने सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई।

कार्यसूची--

1. परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 15/11/2017, 05/02/2018, 23/02/2018 एवं दिनांक 19/04/2018 की कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार।

   निर्णय--परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से परीक्षा समिति के उपरोक्त कार्यवृत्त की संपुष्टि की।

2. अधिष्ठाता, विधि संकाय द्वारा अवगत कराया गया है कि विधि भाग दो सत्र 2016--17 का परीक्षाफल घोषित हो गया है। इस परीक्षा में जो छात्र परीक्षा में फेल हो गये हैं या जिनका बैक आया है, उनकी स्पेशल परीक्षा कराया जाना सत्र विनियमितीकरण के लिए आवश्यक है। अधिष्ठाता, विधि संकाय के अनुरोध के क्रम में परीक्षा समिति के अनुमोदन के प्रत्याशा में मा0 कुलपति जी द्वारा परीक्षा कराने हेतु अनुमति प्रदान कर दी गयी है। तदक्रम में कार्योत्तर अनुमोदन पर विचार--

   निर्णय-- अधिष्ठाता, विधि संकाय द्वारा अवगत कराया गया है कि विधि भाग दो सत्र 2016--17 का परीक्षाफल घोषित हो गया है। इस परीक्षा में जो छात्र परीक्षा में फेल हो गये हैं या जिनका बैक आया है, उनकी स्पेशल परीक्षा कराया जाना सत्र विनियमितीकरण के लिए आवश्यक था, जिसे सम्पन्न करा लिया गया है। परीक्षा समिति इससे अवगत होते हुए कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया।

3. प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 19.03.2018 के बिन्दु संख्या 2 पर प्रवेश समिति में श्री दिलीप कुमार सिंह एवं श्री वसंत लाल द्वारा श्री रामाश्रय प्रसाद पुत्र स्व0 रक्षा प्रसाद की स्नातकोत्तर (एम0ए0) समाजशास्त्र सत्र 1998--2000 की उपाधि निरस्त करने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय में दिये गये आवेदन एवं मा0 उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या 47210/2017 के सम्बन्ध में प्रवेश समिति की आकस्मिक बैठक दिनांक 07.04.2017 के बिन्दु संख्या 1(ट) के अनुपालन में अधिष्ठाता, विधि संकाय एवं कुलसचिव जी की गठित समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करते हुए लिए गये निर्णय-- *"सम्यक् विचारोपरान्त प्रवेश समिति ने श्री दिलीप कुमार सिंह एवं श्री वसंत लाल द्वारा श्री रामाश्रय प्रसाद पुत्र स्व0 रक्षा प्रसाद (स्नातकोत्तर, समाजशास्त्र, सत्र 1998--2000) की उपाधि निरस्त करने के सम्बन्ध में अधिष्ठाता, विधि संकाय एवं कुलसचिव जी की गठित समिति की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए, प्रकरण परीक्षा समिति को सन्दर्भित किया।"* के क्रम में पर विचार--

   निर्णय--अधिष्ठाता, विधि संकाय एवं कुलसचिव जी की गठित समिति की रिपोर्ट की संस्तुति *(......श्री रामाश्रय प्रसाद ने 1981--82 में स्नातक की परीक्षा (अंग्रेजी, अर्थशास्त्र एवं भूगोल) विषय के साथ उत्तीर्ण करने के बाद बिना ब्रिज कोर्स किये स्नातक में लिए गये भिन्न विषय से वर्ष--2000 में स्नातकोत्तर (एम0ए0) की उपाधि समाजशास्त्र विषय के साथ प्राप्त किया जो नियम संगत नहीं है। अतः समिति ने श्री रामाश्रय प्रसाद की स्नातकोत्तर (एम0ए0) समाज शास्त्र वर्ष--2000 की उपाधि निरस्त करने की संस्तुति करती है।")* को प्रवेश समिति द्वारा स्वीकार करने के क्रम में विस्तृत विचारोपरान्त परीक्षा समिति ने श्री रामाश्रय प्रसाद पुत्र स्व0 रक्षा प्रसाद (स्नातकोत्तर, समाजशास्त्र, सत्र 1998--2000) की अंकतालिका को निरस्त करते हुए, इनकी उपाधि निरस्त करने हेतु कार्यपरिषद को सन्दर्भित किया।

4. *प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 23. 05. 2018 के बिन्दु सं0-3 के निर्णय "सम्यक विचारोपरान्त प्रवेश समिति ने आदर्श सिंह पुत्र श्री जंगबहादुर सिंह के द्वारा एक ही समय में दो विश्वविद्यालयों से वर्ष 2013, 2014 एवं 2015 में बी0ए0 उत्तीर्ण करने एवं राधेश्याम पुत्र श्री रमेश चन्द्र यादव के द्वारा एक ही समय में दो विश्वविद्यालयों से वर्ष 2006, 2007 एवं 2008 में बी0ए0 उत्तीर्ण करने पर गठित समिति की आख्या को स्वीकार करते हुये आदर्श सिंह एवं राधेश्याम का बी0ए0 में प्रवेश नामांकन को निरस्त करने की संस्तुति को स्वीकार किया तथा अंक अभिलेख एवं उपाधि निरस्त करने हेतु परीक्षा समिति को सन्दर्भित किया।"* के क्रम में विचार।

निर्णय–समिति ने सर्वसम्मत्ति से प्रवेश समिति के निर्णय को स्वीकार करते हुए एक ही समय में दो विश्वविद्यालयों से बी0ए0 उत्तीर्ण करने के कारण आदर्श सिंह पुत्र श्री जंगबहादुर सिंह बी0ए0 भाग एक वर्ष–2013, अनुक्रमांक–6010011877, बी0ए0 भाग दो वर्ष–2014 अनुक्रमांक–7060010695, बी0ए0 भाग तीन वर्ष–2015, अनुक्रमांक–1510110010683, परीक्षा केन्द्र–दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर एवं राधेश्याम पुत्र श्री रमेश चन्द्र यादव बी0ए0 भाग एक वर्ष–2006, अनुक्रमांक–164663, बी0ए0 भाग दो वर्ष–2007 अनुक्रमांक–134246, बी0ए0 भाग तीन वर्ष–2008, अनुक्रमांक–1061110325, परीक्षा केन्द्र–बी0आर0डी0बी0डी0 पी0जी0 कालेज, आश्रम बरहज देवरिया का अंकपत्र निरस्त करने का निर्णय लिया एवं उपाधि निरस्त करने हेतु कार्य परिषद को सन्दर्भित किया गया।

5. पूनम पाण्डेय के बी0एड0 सत्र 2005–06 सन्ट एण्ड्रयूज कालेज, गोरखपुर के प्रवेश की वैधता के सम्बन्ध में प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 14.06.2018 के निर्णय *"सम्यक विचारोपरान्त प्रवेश समिति ने गठित समिति के संस्तुतियों के क्रम में बी0एड0 सत्र 2005–06 में सेन्ट एण्ड्रयूज महाविद्यालय, गोरखपुर में काउन्सिलिंग द्वारा अतिरिक्त प्रवेशित 25 छात्रों के प्रकरण पर छात्रहित में सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए बी0एड0 सत्र 2005–06 में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में रिक्त स्थानों के सापेक्ष उनके प्रवेश को Notional रूप में स्वीकार करते हुए विनियमित करने का निर्णय लिया, जिससे काउन्सिलिंग से प्रवेशित छात्रों के साथ किसी प्रकार का अन्याय न होने पाये, साथ ही इस निर्णय को परीक्षा समिति को सन्दर्भित किया"* के क्रम में विचार।

निर्णय– समिति ने सर्वसम्मत्ति से पूनम पाण्डेय के बी0एड0 सत्र 2005–06 सेन्ट एण्ड्रयूज कालेज, गोरखपुर के प्रवेश की वैधता के सम्बन्ध में प्रवेश समिति बैठक दिनांक 14.06.2018 के निर्णय *"सम्यक विचारोपरान्त प्रवेश समिति ने गठित समिति के संस्तुतियों के क्रम में बी0एड0 सत्र 2005–06 में सेन्ट एण्ड्रयूज महाविद्यालय, गोरखपुर में काउन्सिलिंग द्वारा अतिरिक्त प्रवेशित 25 छात्रों के प्रकरण पर छात्रहित में सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए बी0एड0 सत्र 2005–06 में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में रिक्त स्थानों के सापेक्ष उनके प्रवेश को Notional रूप में स्वीकार करते हुए विनियमित करने का निर्णय लिया, जिससे काउन्सिलिंग से प्रवेशित छात्रों के साथ किसी प्रकार का अन्याय न होने पाये" को स्वीकार किया, साथ ही इस निर्णय को कार्यपरिषद को सन्दर्भित किया।*

6. विद्यावती देवी महाविद्यालय, वैष्णवी नगर, झरही, तमकुहीराज, कुशीनगर द्वारा नकल हेतु धन मांगने सम्बन्धी (तथाकथित) आडियो वायरल होने के प्रकरण में सत्यता / परीक्षण / जांच हेतु (1) डॉ0 अयोध्या नाथ त्रिपाठी, प्राचार्य, यू0एन0 पी0जी0 कालेज, पडरौना, कुशीनगर, (2) डॉ0 अशोक कुमार सिंह, राजनीतिशास्त्र विभाग, यू0एन0 पी0जी0 कालेज, पडरौना, कुशीनगर की गठित समिति की आख्या पर विचार।
निर्णय– समिति ने सर्वसम्मत्ति से विद्यावती देवी महाविद्यालय, वैष्णवी नगर, झरही, तमकुहीराज, कुशीनगर द्वारा नकल हेतु धन मांगने सम्बन्धी (तथाकथित) आडियो वायरल होने के प्रकरण में सत्यता / परीक्षण / जांच हेतु (1) डॉ0 अयोध्या नाथ त्रिपाठी, प्राचार्य, यू0एन0 पी0जी0 कालेज, पडरौना, कुशीनगर, (2) डॉ0 अशोक कुमार सिंह, राजनीतिशास्त्र विभाग, यू0एन0 पी0जी0 कालेज, पडरौना, कुशीनगर की गठित समिति की आख्या के निष्कर्ष "वायरल आडियो की सत्यता संदिग्ध है" को स्वीकार करते हुए प्रकरण को यहीं समाप्त किया।

7. आलमगीर अली अहमद ने वर्ष–1987 में मदन मोहन मालवीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भाटपाररानी देवरिया से एम0ए0 हिन्दी से परीक्षा उत्तीर्ण हैं। इनके द्वारा प्रत्यावेदन दिया गया है कि सारणीयन पंजिका में मेरे पिता का नाम रहमत अली अंकित है, जबकि सही नाम बशीर अहमद है। सारणीयन पंजिका में मेरे पिता के नाम रहमत अली के स्थान पर बशीर अहमद अंकित होना चाहिए। सारणीयन पंजिका में पिता का नाम संशोधन कर उपाधि निर्गत किया जाय। साक्ष्य के रूप में हाई स्कूल, इन्टरमिडिएट अंकपत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड की छायाप्रति / शपथपत्र संलग्न किया है। सारणीयन पंजिका में रहमत अली के स्थान पर बशीर अहमद नाम संशोधन पर विचार–
निर्णय– समिति ने विचारोपरान्त निर्णय लिया कि सारणीयन पंजिका में आलमगीर अली अहमद के पिता का नाम रहमत अली के स्थान पर बशीर अहमद का नाम संशोधन कर उपाधि निर्गत कर दिया जाय।

8. श्रीमती संगीता गौड़ ने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर से बी0ए0 प्रथम, द्वितीय एवं बी0ए0 तृतीय वर्ष क्रमशः 2002, 2003 एवं 2004 में परीक्षा उत्तीर्ण की है। अभ्यर्थिनी ने प्रत्यावेदन दिया है कि अंकतालिका/सारणियन पंजिका में मेरे पति का नाम अविनाश गौड़ अंकित है, जबकि पिता का नाम राममूर्ति गौड़ अंकित होना चाहिए। सारणियन पंजिका में मेरे पति की जगह पिता का नाम अंकित कर अंकतालिका एवं उपाधि निर्गत किया जाय, साक्ष्य के रूप में हाई स्कूल, इण्टरमिडिएट, वोटर आई0डी0 कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड आदि की छायाप्रति एवं शपथपत्र संलग्न किया है।

निर्णय— समिति ने सर्वसम्मत्ति से निर्णय लिया कि सारणीयन पंजिका में श्रीमती संगीता गौड़ के पति का नाम अविनाश गौड़ के स्थान पर पिता का नाम राममूर्ति गौड़ नाम संशोधित कर अंकतालिका एवं उपाधि निर्गत कर दिया जाय।

9. परीक्षा समिति के गठन के बिन्दु संख्या 9 "Such other teachers not exceeding two in numbers as may be coopted by the Examination committee to serve as member of the Committee for a period of one year." के क्रम में रिक्त एक पद पर coopt करने पर विचार।

निर्णय— समिति ने सर्वसम्मत्ति से निर्णय लिया कि डॉ0 एस0एन0 शर्मा (पुआक्टा अध्यक्ष) को एक वर्ष के लिए अथवा अगले चुनाव तक जो भी पहले हो तक के लिए परीक्षा समिति के सदस्य के रूप में नामित करने का निर्णय लिया।

10. विश्वविद्यालय परीक्षा 2017—18 में सचल दल के गठन के प्रावधानों के आंशिक संशोधन से अवगत होना एवं तदक्रम में कार्योत्तर अनुमोदन पर विचार।

निर्णय— समिति विश्वविद्यालय परीक्षा 2017—18 में सचल दल के गठन के प्रावधानों के आंशिक संशोधन को स्वीकार करते हुए कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य बिन्दुओं पर विचार—

1. विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा के बी0एस—सी0 प्रथम वर्ष गणित प्रथम प्रश्नपत्र के पेपर आउट होने के प्रकरण में गठित तथ्यान्वेषण समिति (Fact Finding Committee) के संयोजक प्रो0 एस0के0 दीक्षित द्वारा समिति की रिपोर्ट माननीय कुलपति जी को सौंपा गया, संयोजक द्वारा यह अवगत कराया गया कि समिति की जांच रिपोर्ट में संस्तुत है कि इस संदर्भ में आगे सूक्ष्म जाँच हेतु इसे (समिति की रिपोर्ट को) एस0टी0एफ0 को सौंपा जाय। जिसके क्रम में समिति ने सर्वसम्मत्ति से इसे स्वीकार करते हुए विवेचक/एस0टी0एफ0 से मांग पत्र प्राप्त करते हुए जांच समिति की प्रति उन्हें उपलब्ध कराने हेतु सहमति प्रदान किया साथ ही इस संदर्भ में आगामी किसी भी प्रकार की कार्यवाही हेतु माननीय कुलपति जी को अधिकृत किया।

अन्त में अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ समिति की बैठक सम्पन्न हुई।

परीक्षा नियंत्रक

कुलपति

(प्रति)

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

परीक्षा समिति की आकस्मिक बैठक दिनांक 13/07/2018 की कार्यवृत्त

1	प्रो0 विजय कृष्ण सिंह	कुलपति	अध्यक्ष
2	प्रो0 एस0के0 दीक्षित	प्रतिकुलपति	सदस्य
3	प्रो0 जितेन्द्र मिश्र	अधिष्ठाता, विधि संकाय	सदस्य
4	प्रो0 गोपी नाथ	अधिष्ठाता, वाणिज्य संकाय	सदस्य
5	प्रो0 हरिशरण	अधिष्ठाता, विज्ञान संकाय	सदस्य
6	प्रो0 एन0पी0 भोक्ता	अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय	सदस्य
7	डॉ0 अवधेश सिंह	अधिष्ठाता, कृषि संकाय	सदस्य
8	प्रो0 श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी	राजनीति शास्त्र विभाग	सदस्य
9	डॉ0 स्वयं प्रकाश लाल श्रीवास्तव	वरिष्ठ शिक्षक, बापू डिग्री कालेज, पीपीगंज, गोरखपुर	सदस्य
10	डॉ0 श्री भगवान सिंह	वरिष्ठ शिक्षक, दिग्विजयनाथ पी0जी0कालेज, गोरखपुर	सदस्य
11	प्रो0 विनोद कुमार सिंह	अध्यक्ष, विश्वविद्यालय शिक्षक संघ	आमंत्रित सदस्य
12	डॉ0 एस0एन0 शर्मा	अध्यक्ष, गुआक्टा	आमंत्रित सदस्य
13	प्रो0 शिवशंकर सिंह	अधिष्ठाता, छात्रकल्याण	विशेष आमंत्रित
14	प्रो0 विनय कुमार सिंह	प्रभारी, ई0डी0पी0 सेल	विशेष आमंत्रित
15	प्रो0 अजय कुमार गुप्ता	पूर्व प्रभारी, ई0डी0पी0 सेल	विशेष आमंत्रित
16	डॉ0 अमरेन्द्र कुमार सिंह	परीक्षा नियंत्रक	सचिव

कार्यसूची-

1. (क) जिलाधिकारी कार्यालय, देवरिया के सूचनानुसार राम गुलाम राय पी0जी0 कालेज, बनकटाशिव, सलेमपुर, देवरिया एवं बहादुर यादव मेमोरियल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नगर पंचायत भटनी, देवरिया में परीक्षा के दौरान सामूहिक नकल कराने एवं एस0टी0एफ0 द्वारा दर्ज करायी गयी प्राथमिकी आदि के सम्बन्ध में उक्त दोनों महाविद्यालयों के नकल सम्बन्धी इस प्रकरण के संदर्भ में विश्वविद्यालय स्तर से जांच हेतु एवं नियमानुसार अग्रेतर कारवाई हेतु माननीय कुलपति जी द्वारा गठित जांच समिति-

    1. प्रो0 चित्तरंजन मिश्र, अध्यक्ष, हिन्दी विभाग --संयोजक
    2. प्रो0 संजीत गुप्ता, वाणिज्य विभाग --सदस्य
    3. डॉ0 उदय सिंह, शिक्षा शास्त्र विभाग --सदस्य
    4. परीक्षा नियंत्रक --सदस्य/सचिव

    की संस्तुतियों पर विचार--

    निर्णयः समिति ने सर्वसम्मत्ति से गठित समिति द्वारा प्रस्तुत जांच आख्या/संस्तुतियों को सम्यक विचारोपरान्त स्वीकार किया तथा राम गुलाम राय पी0जी0 कालेज, बनकटाशिव, सलेमपुर, देवरिया एवं बहादुर यादव मेमोरियल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नगर पंचायत भटनी, देवरिया को आगामी तीन वर्षों तक की विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने का निर्णय लिया।

   (ख) वार्षिक परीक्षा वर्ष--2018 के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा गठित उड़ाका दलों की रिपोर्ट के आधार पर सामूहिक नकल के प्रकरण के निस्तारण हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर गठित विभागीय समिति की संस्तुतियों पर विचार--

    निर्णयः समिति ने विश्वविद्यालय द्वारा गठित उड़ाका दलों एवं परीक्षकों द्वारा प्रस्तुत शिकायतों तथा सामूहिक नकल निस्तारण समितियों द्वारा प्रस्तुत संस्तुतियों को स्वीकार कर निम्नवत निर्णय लिया-

    (i) ऐसे प्रश्नपत्र जिनमें सामूहिक नकल का आरोप सिद्ध नहीं हुआ है उनसे सम्बन्धित महाविद्यालयों के परीक्षाफल घोषित कर दिये जाय।

    (ii) ऐसे प्रश्नपत्र जिनमें सामूहिक नकल का आरोप सिद्ध पाया गया है, उनसे सम्बन्धित छात्रों के आरोप सिद्ध प्रश्नपत्रों के प्राप्तांक से, प्राप्तांक के 30 प्रतिशत अकों की कटौती कर परीक्षाफल घोषित कर दिया जाय।

    साथ ही समिति ने यह भी निर्णय लिया गया कि इस वर्ष सामूहिक नकल में आरोप सिद्ध महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा हेतु आगामी परीक्षा वर्ष-2019 में परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय।

    (iii) ओ0एम0आर0 सम्बन्धित प्रश्नपत्रों में शिकायतों के सम्बन्ध में परीक्षार्थियों के प्राप्तांकों एवं प्राप्तांकों के अन्तरों को दृष्टिगत रखते हुए आरोप मुक्त करने का निर्णय लिया गया।

    (iv) सामूहिक नकल में आरोप सिद्ध महाविद्यालय/परीक्षा केन्द्रों पर नियुक्त केन्द्राध्यक्षों को आगामी परीक्षा वर्ष--2019 में केन्द्राध्यक्ष न बनाया जाय।

(प) नीलम राय पुत्री श्री वृजभूषण राय ने हिन्दू किसान कन्या [illegible] गाजीपुर से [illegible] अनुक्रमांक-79352, स्नातक द्वितीय वर्ष-1986, अनुक्रमांक-145403 में परीक्षा उत्तीर्ण [illegible] प्रत्यावेदन किया गया है कि सारणीयन पंजिका में मेरे पिता के नाम वशिष्ठ नारायण राय अंकित [illegible] जबकि सही नाम वृजभूषण राय है। साक्ष्य के रूप में हाई स्कूल का प्रमाण पत्र [illegible] की छायाप्रति एवं शपथपत्र संलग्न किया गया है। सारणीयन पंजिका में नीलम राय के पिता वशिष्ठ नारायण राय के स्थान पर वृजभूषण राय के नाम संशोधन पर विचार--

निर्णय-- समिति ने विचारोपरान्त निर्णय लिया कि सारणीयन पंजिका में नीलम राय के पिता के नाम वशिष्ठ नारायण राय के स्थान पर वृजभूषण राय अंकित कर (संशोधन कर) अंकतालिका एवं उपाधि निर्गत कर दिया जाय।

(फ) सोनी दीनानाथ मौर्य पुत्री श्री दीनानाथ मौर्य ने ओम प्रकाश महाविद्यालय [illegible] महराजगंज से बी0ए0 प्रथम वर्ष--2012 अनुक्रमांक--5013300361, बी0ए0 द्वितीय वर्ष-2013 अनुक्रमांक--6063300276 एवं बी0ए0 तृतीय वर्ष--2014, अनुक्रमांक 7113300152 में परीक्षा उत्तीर्ण की है। अभ्यर्थिनी ने प्रत्यावेदन दिया है कि अंकतालिका/सारणीयन पंजिका में मेरा नाम सोनी अंकित है जबकि मेरा नाम सोनी दीनानाथ मौर्य अंकित होना चाहिए। सारणीयन पंजिका में मेरे नाम का संशोधन कर अंकतालिका एवं उपाधि निर्गत किया जाय, साक्ष्य के रूप में हाई स्कूल एवं [illegible] का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड आदि की छायाप्रति एवं शपथपत्र संलग्न किया है।

निर्णय-- समिति ने विचारोपरान्त निर्णय लिया कि सारणीयन पंजिका में सोनी के स्थान पर सोनी दीनानाथ मौर्य का नाम का संशोधन कर अंकतालिका एवं उपाधि निर्गत कर दिया जाय।

परीक्षा नियंत्रक

कुलपति

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

परीक्षा समिति की आकस्मिक बैठक दिनांक 10/09/2018 का कार्यवृत्त

1	प्रो0 विजय कृष्ण सिंह	कुलपति	अध्यक्ष
2	प्रो0 एस0के0 दीक्षित	प्रतिकुलपति	सदस्य
3	प्रो0 जितेन्द्र मिश्र	अधिष्ठाता, विधि संकाय	सदस्य
4	प्रो0 गोपी नाथ	अधिष्ठाता, वाणिज्य संकाय	सदस्य
5	प्रो0 हरिशरण	अधिष्ठाता, विज्ञान संकाय	सदस्य
6	प्रो0 एन0पी0 भोक्ता	अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय	सदस्य
7	प्रो0 सी0पी0 श्रीवास्तव	अधिष्ठाता, कला संकाय	सदस्य
8	डॉ0 अवधेश सिंह	अधिष्ठाता, कृषि संकाय	सदस्य
9	प्रो0 चित्तरंजन मिश्र	आचार्य, हिन्दी विभाग	सदस्य
10	प्रो0 विनोद कुमार सिंह	अध्यक्ष, विश्वविद्यालय शिक्षक संघ	आमंत्रित सदस्य
11	डॉ0 एस0एन0 शर्मा	अध्यक्ष, गुआक्टा	कोआप्टेड सदस्य
12	प्रो0 रविशंकर सिंह	अधिष्ठाता, छात्रकल्याण	विशेष आमंत्रित
13	श्री सुरेश चन्द्र शर्मा	कुलसचिव	सदस्य
14	डॉ0 अमरेन्द्र कुमार सिंह	परीक्षा नियंत्रक	सचिव

कार्यसूची–

1. उत्तराखण्ड शासन द्वारा गठित एस0आई0टी0 द्वारा फर्जी शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच के सम्बन्ध में पंत्र संख्या–एस0आई0टी0–1(HRD)/2017 दिनांक 05 जुलाई, 2018 के क्रम में *कु0 नीलम कुमारी पुत्री श्री सुखदेव सिंह, बी0एड0 वर्ष–1999, अनुक्रमांक–57187*, परीक्षा केन्द्र–दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के प्रमाणपत्रों की जांच हेतु माननीय कुलपति जी द्वारा गठित समिति–
   1. अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय, (प्रो0 एन0पी0 भोक्ता) – संयोजक
   2. प्रो0 अहमद नसीम, विधि संकाय – सदस्य
   3. परीक्षा नियंत्रक – अभिलेख प्रस्तुतकर्ता

   की संस्तुतियों पर विचार–

निर्णयः समिति ने विस्तृत विचारोपरान्त सर्वसम्मत्ति से जांच समिति की निम्नलिखित संस्तुतियों को स्वीकार किया–

"(क) कु0 नीलम कुमारी पुत्री श्री सुखदेव सिंह बी0एड0 वर्ष–1999, अनुक्रमांक–57187 परीक्षा केन्द्र–दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर का अंकपत्र/प्रमाणपत्र फर्जी है तथा निरस्त किए जाने योग्य है।
अतः उक्त छात्रा का अंकपत्र/प्रमाणपत्र फर्जी होने के सम्बन्ध में एस0आई0टी0 उत्तराखण्ड को सूचित किया जाना उचित होगा।

(ख) विश्वविद्यालय केन्द्र का बी0एड0 वर्ष–1999 की सारणीयन पंजिका जो अभिलेख कक्ष में है के साथ विभागीय सारणीयन पंजिका की प्रमाणित प्रति भी विश्वविद्यालय अभिलेख कक्ष में रखी जाय एवं आगे इन सत्रों के छात्रों के अभिलेख सत्यापन के समय दोनों सारणीयन पंजिकाओं को देखकर ही सत्यापन पत्र निर्गत किया जाय।

(ग) इस संदर्भ में जांच समिति विश्वविद्यालय अभिलेख कक्ष की बी0एड0 वर्ष–1999 से सम्बन्धित सारणीयन पंजिका में की गयी टेम्परिंग आदि के सम्बन्ध में जांच हेतु एक अलग से जांच समिति गठित करने एवं जांच की कार्यवाही परीक्षा समिति को संदर्भित करने की संस्तुति करती है।"

तथा समिति के संस्तुति के अनुरूप अग्रेत्तर कारवाई कराने हेतु निर्णय लिया।

2. जिला कृषि पदाधिकारी, पश्चिमी–चम्पारण, बेतिया, बिहार से सत्यापन हेतु प्राप्त पत्र संख्या–1314 दिनांक 04/05/2018 जो **श्री सतीश कुमार पाठक** पुत्र श्री अमर नाथ पाठक एवं **श्री सुरेश प्रसाद गुप्त** पुत्र श्री गणेश प्रसाद गुप्त, बी0एस–सी0 (कृषि) अंतिम वर्ष–1980, अनुक्रमांक क्रमशः 100275 एवं 100223 परीक्षा केन्द्र–बी0आर0डी0पी0जी0 कालेज, देवरिया के सत्यापन आख्या भेजने के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय अभिलेख कक्ष में बी0एस–सी0 (कृषि) अंतिम वर्ष–1980, परीक्षा केन्द्र–बी0आर0डी0पी0जी0 कालेज, देवरिया के सारणीयन पंजिका काफी ढूढवाने के बावजूद उपलब्ध नहीं होने के कारण विश्वविद्यालय के पत्र दिनांक 01/08/2018 द्वारा प्राचार्य, बी0आर0डी0 पी0जी0 कालेज, देवरिया से सारणीयन पंजिका की प्रमाणित छायाप्रति की मांग की गयी। प्राचार्य ने अपने पत्र दिनांक 18/08/2018 द्वारा सूचित किया कि महाविद्यालय में उपलब्ध सारणीयन पंजिका पर अनुक्रमांक का रेंज 100119 से 100306 तक अंकित है, लेकिन महाविद्यालय में अनुक्रमांक–100119 से 100238 तक का पेज ही उपलब्ध है, जिसमें सुरेश प्रसाद गुप्त अनुक्रमांक–100223 ने

1146/2100 अंक प्राप्त कर द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण है, लेकिन अनुक्रमांक–100275 की सारणीयन पंजिका महाविद्यालय में भी उपलब्ध नहीं है।

तदपश्चात माननीय कुलपति जी के अनुमति के क्रम में अनुक्रमांक–100275 श्री सतीश कुमार पाठक की अंकतालिका प्राचार्य को प्रेषित कर यह पृच्छा की गयी है कि श्री पाठक की अंकतालिका महाविद्यालय द्वारा निर्गत है कि नहीं। विश्वविद्यालय के पत्र के उत्तर में प्राचार्य ने अपने पत्र दिनांक 24/08/2018 द्वारा सूचित किया कि– **श्री सतीश कुमार पाठक की अंकतालिका महाविद्यालय द्वारा निर्गत है, सूचना से अवगत होते हुए अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।**

तदक्रम में श्री सतीश कुमार पाठक के अंकपत्र सत्यापन पर विचार।

निर्णयः समिति ने सर्वसम्मत्ति से निर्णय लिया कि प्राचार्य, बी0आर0डी0 पी0जी0 कालेज, देवरिया की आख्या के क्रम में श्री सतीश कुमार पाठक पुत्र श्री अमर नाथ पाठक, अनुक्रमांक–100275 एवं श्री सुरेश प्रसाद गुप्त पुत्र श्री गणेश प्रसाद गुप्त, अनुक्रमांक–100223, बी0एस–सी0 (कृषि) अंतिम वर्ष–1980, परीक्षा केन्द्र–बी0आर0डी0पी0जी0 कालेज, देवरिया की अंकतालिका का सत्यापन कर दिया जाय तथा इसे अभिलेख/रिकार्ड में भी दर्ज कर लिया जाय।।

3. गत वर्ष 2017 में राज्य सरकार ने उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय की परीक्षा में अनुचित साधन प्रयोग के निवारण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–197/सत्तर–1–2017–16(37)/2012 लागू किया है। ऐसी स्थिति में इस तरह के प्रकरणों/संदर्भ में अनुचित साधन प्रयोग (UFM) का निस्तारण कैसे होगा के प्रकरण पर माननीय कुलपति जी के निर्देश के क्रम में विश्वविद्यालय अधिवक्ता से विधिक सलाह मांगी गयी थी, जिसमें विधिक सलाहकार ने अपनी आख्या में उल्लेख किया है कि–"वार्षिक परीक्षा वर्ष–2017 एवं सेमेस्टर परीक्षा वर्ष–2017 में परीक्षा के समय अनुचित साधन प्रयोग (UFM) में आरोपित छात्रों के परीक्षाफल का निस्तारण विश्वविद्यालय में पूर्व से प्रचलित नियमावली/अध्यादेश के अनुसार कार्यवाही किया जा सकता है, उपरोक्त कार्यवाही से वांछित छात्रों के विरूद्ध अनुचित साधन प्रयोग के सम्बन्ध में दर्ज एफ0आई0आर0 या अन्य किसी प्रकार की कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा"। जिसके क्रम में माननीय कुलपति जी द्वारा विधिक राय के अनुसार वर्ष–2017 में कार्यवाही पूर्ण का ली गई।

इसी तरह इस वर्ष **वार्षिक परीक्षा** वर्ष–2018 में अनुचित साधन प्रयोग के अन्तर्गत कुल–214 अभ्यर्थी नकल में आरोपित हुए थे, उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन विषय विशेषज्ञ द्वारा कराने के बाद, सम्बन्धित छात्रों को आरोप पत्र प्रेषित करने के उपरान्त उत्तरपुस्तिकाओं का **"अनुचित साधन प्रयोग निस्तारण समिति"** द्वारा निस्तारण किया गया है। "अनुचित साधन प्रयोग निस्तारण समिति द्वारा 33 छात्रों को दोषमुक्त किया गया, 124 छात्रों का वर्ष–2018 का परीक्षाफल निरस्त किया गया तथा 57 छात्रों का वर्ष–2018 का परीक्षाफल निरस्त एवं 2019 की परीक्षा से वंचित किया गया है।

माननीय कुलपति जी आदेश के क्रम में अनुचित साधन प्रयोग निस्तारण समिति की संस्तुतियों पर समय से परिणाम देने हेतु परीक्षा समिति से अनुमोदन की प्रत्याशा में कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है। कार्योत्तर परीक्षा समिति से अनुमोदन पर विचार–

निर्णय–समिति ने सर्वसम्मति से वार्षिक परीक्षा वर्ष–2018 में अनुचित साधन प्रयोग में आरोपित छात्रों की उत्तरपुस्तिकाओं पर 'अनुचित साधन प्रयोग निस्तारण समिति' द्वारा की गयी संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए कार्योत्तर कार्यवाही से अवगत होते हुए अनुमोदन प्रदान किया।

अन्य बिन्दु माननीय कुलपति जी के अनुमति से

1. शिवम पाण्डेय, अनुक्रमांक–1714150010013, एम0बी0ए0 तृतीय सेमेस्टर बैकपेपर वर्ष–2017, मैनेजमेन्ट इन्फारमेशन सिस्टम प्रश्नपत्र की परीक्षा में सम्मिलित हुआ था, किन्तु पुनः उस प्रश्नपत्र में बैक हो गया जबकि प्रार्थी एम0बी0ए0 चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण हैं। विभागाध्यक्ष/अधिष्ठाता (वाणिज्य) प्रो0 गोपीनाथ ने प्रार्थी को सत्र 2018–19 में बैकपेपर की परीक्षा में सम्मिलित होने तथा एक अवसर देने की संस्तुति की है।

निर्णय–समिति ने सर्वसमिति से अधिष्ठाता, वाणिज्य संकाय की संस्तुति के क्रम में शिवम पाण्डेय, अनुक्रमांक–1714150010013, एम0बी0ए0 तृतीय सेमेस्टर बैकपेपर वर्ष–2017 की परीक्षा, सत्र 2018–19 की संगत बैकपेपर परीक्षा के साथ सम्पन्न करा लिया जाय तथा इसे भविष्य में नज़ीर न माना जाय।

2. प्री पी–एच0डी0 कोर्स वर्क परीक्षा वर्ष–2017 कराने पर विचार।

निर्णय–समिति ने सर्वसमिति से प्रो0 सुग्रीव नाथ तिवारी, विभागाध्यक्ष भौतिकी विभाग, दी0द0उ0गो0वि0वि0गोरखपुर को प्री पी–एच0डी0 कोर्स वर्क परीक्षा वर्ष–2017 सम्पन्न कराने हेतु समन्वयक नियुक्त करने की संस्तुति करते हुए परीक्षा कराने हेतु अधिकृत किया।

परीक्षा नियंत्रक

कुलपति

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

परीक्षा समिति की आकस्मिक बैठक दिनांक 04/12/2018 का कार्यवृत्त

1	प्रो0 विजय कृष्ण सिंह	कुलपति	अध्यक्ष
2	प्रो0 एस0के0 दीक्षित	प्रतिकुलपति	सदस्य
3	प्रो0 जितेन्द्र मिश्र	अधिष्ठाता, विधि संकाय	सदस्य
4	प्रो0 गोपी नाथ	अधिष्ठाता, वाणिज्य संकाय	सदस्य
5	प्रो0 हरिशरण	अधिष्ठाता, विज्ञान संकाय	सदस्य
6	प्रो0 एन0पी0 भोक्ता	अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय	सदस्य
7	प्रो0 सी0पी0 श्रीवास्तव	अधिष्ठाता, कला संकाय	सदस्य
8	डॉ0 अवधेश सिंह	अधिष्ठाता, कृषि संकाय	सदस्य
9	डॉ0 ओंकार नाथ मिश्र	प्राचार्य, श्री भ0महा0पी0जी0का0, पावानगर, कुशीनगर	सदस्य
10	डॉ0 एस0एन0 शर्मा	अध्यक्ष, गुआक्टा	कोआप्टेड सदस्य
11	प्रो0 रविशंकर सिंह	अधिष्ठाता, छात्रकल्याण	विशेष आमंत्रित
12	डॉ0 अमरेन्द्र कुमार सिंह	परीक्षा नियंत्रक	सचिव

कार्यसूची–

बैठक के प्रारम्भ में माननीय कुलपति जी ने सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई।

1. (क) एल0एल–बी0 द्वितीय वर्ष–2018, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के भूतपूर्व के कुछ छात्रों ने आवदेन किया है कि एल0एल–बी0 द्वितीय वर्ष–2018 के तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर वर्ष–2018 की स्पेशल परीक्षा करायी गई जो क्रमानुसार नहीं करायी गई (चतुर्थ सेमेस्टर पहले कराया गया एवं तृतीय सेमेस्टर बाद में कराया गया), भूतपूर्व छात्र होने के कारण इसकी इन्हें जानकारी नहीं हो पाई, जिसके कारण चतुर्थ सेमेस्टर की कुछ प्रश्नपत्रों की परीक्षा छूट गई। ऐसे छात्रों ने वर्ष–2019 में एलएल–बी0 द्वितीय वर्ष (तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर) की भूतपूर्व छात्रों की होने वाली परीक्षा में परीक्षाफार्म भरने हेतु मांग की है, भूतपूर्व अभ्यर्थियों को वर्ष–2019 में परीक्षाफार्म भरने के संदर्भ में विचार।

   निर्णयः समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि सम्बन्धित भूतपूर्व छात्रों को एल0एल–बी0 द्वितीय वर्ष–2018 के तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर के छात्रों को वर्ष–2019 में होने वाली परीक्षा में सम्मिलित करा लिया जाय तथा इसे भविष्य में इसे नज़ीर न माना जाय।

   (ख) अभिषेक शुक्ला ने अपने प्रत्यावेदन द्वारा अवगत कराया है कि मैं एम0एस–सी0 (रसायन शास्त्र) (तृतीय सेमेस्टर) पुराना बैच अनुक्रमांक–1837117740001, वर्ष–2018 के तृतीय प्रश्नपत्र में बैकपेपर की परीक्षा जून 2018 में केन्द्र–नेशनल पी0जी0 कालेज, बड़हलगंज, गोरखपुर से सम्मिलित हुआ। सेमेस्टर प्रणाली के पुराने अध्यादेश के अनुसार संगत सेमेस्टर में परीक्षा न देने के कारण परीक्षाफल घोषित नहीं किया गया है, परीक्षाफल घोषित करने हेतु अभ्यर्थी द्वारा पी–7, जांच पत्र, प्रवेश पत्र की छायाप्रति संलग्न किया गया है। तदक्रम में छात्र का परीक्षाफल घोषित करने के सम्बन्ध में विचार।

   निर्णयः समिति ने सर्वसम्मत्ति से निर्णय लिया कि अभिषेक शुक्ला, एम0एस–सी0 (रसायन शास्त्र) (तृतीय सेमेस्टर) पुराना पाठ्यक्रम वर्ष–2018, अनुक्रमांक–1837117740001, सहित इस तरह के सभी छात्रों का बैकपेपर का परीक्षाफल घोषित कर दिया जाय।

   (ग) मयंक सिंह कुशवाहा ने प्रत्यावेदन किया है कि मैं वर्ष–2018 में बी0एस–सी0 तृतीय वर्ष–2018, अनुक्रमांक–1810121060084, केन्द्र–बहादुर यादव मेमोरियल महाविद्यालय नगर पंचायत भटनी, देवरिया का छात्र रहा हूँ, मुझे जो अंकतालिका निर्गत की गयी उसमें मैं अनुत्तीर्ण था, स्कूटनी द्वारा मुझे बैक की अंकतालिका निर्गत हुई है, जबकि अंकसुधार/बैकपेपर की परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं, अंकसुधार/बैकपेपर की परीक्षाएं समाप्त होने के कारण मेरा एक वर्ष बर्बाद होगा। वर्ष–2019 की होनी वाली वार्षिक परीक्षा में जिस विषय में (रसायन विज्ञान में) बैक लगा है, मात्र उस विषय (रसायन विज्ञान) की परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाय, तदक्रम में विचार।

   निर्णयः समिति ने सर्वसम्मत्ति से निर्णय लिया कि छात्रहित के दृष्टिगत मयंक सिंह कुशवाहा, वर्ष–2018 में बी0एस–सी0 तृतीय वर्ष–2018, अनुक्रमांक–1810121060084, केन्द्र–बहादुर यादव मेमोरियल महाविद्यालय नगर पंचायत भटनी, देवरिया को वर्ष–2019 की होने वाली मुख्य परीक्षा के साथ रसायन विज्ञान विषय की परीक्षा कराकर बैक पेपर के रूप में परीक्षाफल घोषित कर दिया जाय, एवं इसे नजीर न माना जाय।

(घ) आई0जी0आर0एस0 (जनसुनवाई) के तहत आई0 अहमद, धम्माल, गोरखपुर के द्वारा किए गये आनलाईन किया गया। शिकायती प्रतिवेदन के अनुसार बी0एस–सी0 भाग दो, वर्ष–1985, अनुक्रमांक–68488, केन्द्र–शिबली नेशनल कालेज, आजमगढ़ से अफाक अहमद को अंक पत्र निर्गत्त किया गया है। विश्वविद्यालय के अभिलेख कक्ष में उपलब्ध बी0एस–सी0 भाग दो वर्ष–1985, शिबली नेशनल कालेज, आजमगढ़ की सारणीयन पंजिका में अनुक्रमांक–68488, से सम्बन्धित पेज उपलब्ध नहीं है। इस संदर्भ में विश्वविद्यालय से प्राचार्य, शिबली नेशनल कालेज, आजमगढ़ को पत्र प्रेषित कर उक्त अनुक्रमांक को परीक्षाफल के सम्बन्ध में आख्या सहित महाविद्यालय सारणीयन पंजिका की प्रमाणित छायाप्रति मंगायी गयी है। प्राचार्य, शिबली नेशनल कालेज, आजमगढ़ द्वारा अपने पत्र दिनांक 16/10/2018 में उल्लेख किया गया है कि *"प्रकरण पुराना है सारणीयन पंजिका को देखने में ही कटिंग स्पष्ट होती है तथा उस पर कोई हस्ताक्षर नहीं है और विश्वविद्यालय का काई आदेश भी उपलब्ध नहीं है।"*

महाविद्यालय के सारणीयन पंजिका में अनुक्रमांक–68488, में प्राणि विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान के कॉलम में पूर्व से अंकित प्राप्तांकों को काटकर अंक संशोधित किया गया है तथा सम्पूर्ण योग को भी संशोधित किया गया है तथा परीक्षाफल द्वितीय श्रेणी संशोधित कर लघु हस्ताक्षर किया गया है। सारणीयन पंजिका में महाविद्यालय स्तर से संशोधन करके अंकपत्र निर्गत किया गया है इसलिए वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु प्रकरण की जांच महाविद्यालय स्तर से किया जाना उचित होगा।

निर्णयः समिति ने विस्तृत विचारोपरान्त सर्वसम्मत्ति से निर्णय लिया कि अफाक अहमद, अनुक्रमांक–68488, बी0एस–सी0 भाग दो वर्ष–1985, केन्द्र–शिबली नेशनल पी0जी0 कालेज, आजमगढ़ के परीक्षाफल सारणीयन पंजिका में महाविद्यालय स्तर से परीक्षाफल में संशोधन करके लघु हस्ताक्षर किया गया है, तत्समय के प्राचार्य, लिपिक/चेकर द्वारा अंकतालिका पर हस्ताक्षर करके महाविद्यालय स्तर से ही अंकतालिका निर्गत की गयी है, ऐसी स्थिति में महाविद्यालय स्तर से एक त्रि–सदस्यीय समिति का गठन करके, प्राकृतिक न्याय के तहत अभ्यर्थी के पक्ष को सुनकर जांचोपरान्त निर्णय लेकर प्रकरण पर निर्णय लेते हुए कृत कार्यवाही से विश्वविद्यालय को अवगत कराने हेतु प्राचार्य, शिबली नेशनल कालेज, आजमगढ़ को संदर्भित किया गया।

(ङ) माया मिश्रा पुत्री श्री तारकेश्वर मिश्रा ने अवगत कराया है कि वे माया तिवारी पत्नी श्री अजय प्रताप तिवारी के रूप में मदनमोहन मालवीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भाटपाररानी देवरिया से एम0ए0 (हिन्दी) प्रथम वर्ष–1996, अनुक्रमांक–13207 एवं एम0ए0 (हिन्दी) द्वितीय वर्ष–1997, अनुक्रमांक–10578 से परीक्षा उत्तीर्ण है। अभ्यर्थीनी ने प्रत्यावेदन किया है कि अंकतालिका/सारणीयन पंजिका में मेरा नाम माया तिवारी पत्नी अजय प्रताप तिवारी अंकित है, जबकि मेरा नाम माया मिश्रा पुत्री श्री तारकेश्वर मिश्रा होना चाहिए, सारणीयन पंजिका में मेरे नाम का संशोधन कर अंकतालिका एवं उपाधि निर्गत किया जाय। साक्ष्य के रूप में हाईस्कूल, इण्टरमिडिएट प्रमाण पत्र, स्नातक की अंकतालिका/डिग्री, पैन कार्ड, चुनाव आयोग का पहचान पत्र, आधार कार्ड, पारिवार रजिस्टर की छायाप्रति एवं शपथपत्र आदि संलग्न किया है, नाम संशोधन पर विचार।

निर्णयः समिति ने विस्तृत विचारोपरान्त सर्वसम्मत्ति से निर्णय लिया कि एम0ए0 (हिन्दी) प्रथम वर्ष–1996, अनुक्रमांक–13207 एवं एम0ए0 (हिन्दी) द्वितीय वर्ष–1997, अनुक्रमांक–10578, केन्द्र–मदनमोहन मालवीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भाटपाररानी देवरिया से सम्बन्धित सारणीयन पंजिका में माया तिवारी पत्नी श्री अजय प्रताप तिवारी के स्थान पर माया मिश्रा पुत्री श्री तारकेश्वर मिश्रा के रूप में संशोधन कर दिया जाय।

(च) पंकज कुमार चौहान, शिवेन्द्र प्रताप राम, मुकेश कुमार भारती, दीपू साहनी व दिनेश कुमार, एम0एस–सी0 (भौतिकी) सत्र 2017–18 के भूतपूर्व छात्रों के प्रत्यावेदन दिनांक 06/08/2018 एवं 01/11/2018 के क्रम में विचार करते हुए परीक्षा सामान्य कार्यालय की दिनांक 20/11/2018 की आख्या में स्पष्ट किया गया कि उपरोक्त छात्र सत्र 2016–17 में एम0एस–सी0 (भौतिकी) में प्रवेशित है, एवं प्रथम सेमेस्टर अनुत्तीर्ण हो गये हैं, तथा पुनः भूतपूर्व के रूप में 2017–18 में परीक्षा में सम्मिलित होकर पुनः अनुत्तीर्ण हो गये हैं। अतः सत्र 2018–19 में एम0एस–सी0 (भौतिकी) प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में पुनः भूतपूर्व छात्र के रूप में फार्म भरने हेतु नियमानुसार अर्ह नहीं है। उक्त टीप कार्यालय अधीक्षक (परीक्षा) द्वारा हस्ताक्षरित है जिसे परीक्षा नियंत्रक द्वारा हस्ताक्षर करके दिनांक 20/11/2018 को कुलपति जी को प्रेषित किया गया। जिसपर माननीय कुलपति जी द्वारा दिनांक 26/11/2018 द्वारा अवलोकित करते हुए परीक्षा समिति में रखने हेतु निर्देशित किया गया है।

(सत्र 2016–17 हेतु लागू अध्यादेश में किसी छात्र को प्रत्येक सेमेस्टर में एक अवसर संस्थागत, एक अवसर बैक तथा एक अवसर भूतपूर्व के रूप में परीक्षा में सम्मिलित होने की व्यवस्था है।)

उपरोक्त्त छात्रों के परीक्षाफ़ल का विवरण निम्नवत है–

(i) पंकज कुमार चौहान, एम0एस–सी0 (भौतिक विज्ञान) प्रथम सेमेस्टर सत्र 2016–17 में संस्थागत परीक्षार्थी के रूप में विश्वविद्यालय केन्द्र से अनुक्रमांक–1717050010025 से परीक्षा में सम्मिलित होकर अनुत्तीर्ण हुए।
सत्र 2017–18 की परीक्षा में भूतपूर्व परीक्षार्थी के रूप में अनुक्रमांक–1837050010004 से परीक्षा में सम्मिलित होकर पुनः अनुत्तीर्ण हैं।

(ii) शिवेन्द्र प्रताप राय, एम0एस–सी0 (भौतिक विज्ञान) प्रथम सेमेस्टर सत्र 2016–17 में संस्थागत परीक्षार्थी के रूप में विश्वविद्यालय केन्द्र से अनुक्रमांक–1717050010035 से परीक्षा में सम्मिलित हुए तथा परीक्षाफल बैक घोषित हुआ। सत्र 2017–18 की द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा के साथ एम0एस–सी0 भौतिकी प्रथम सेमेस्टर द्वितीय प्रश्नपत्र की परीक्षा बैकपेपर के रूप में दिये जिसमें अनुत्तीर्ण हुए। सत्र 2017–18 की परीक्षा में भूतपूर्व परीक्षार्थी के रूप में अनुक्रमांक–1837050010001 से परीक्षा में सम्मिलित होकर पुनः अनुत्तीर्ण हैं।

(iii) दीपू साहनी, एम0एस–सी0 (भौतिक विज्ञान) प्रथम सेमेस्टर सत्र 2016–17 में संस्थागत परीक्षार्थी के रूप में विश्वविद्यालय केन्द्र से अनुक्रमांक–1717050010012 से परीक्षा में सम्मिलित होकर अनुत्तीर्ण हुए। सत्र 2017–18 की परीक्षा में भूतपूर्व परीक्षार्थी के रूप में अनुक्रमांक–1837050010002 से परीक्षा में सम्मिलित होकर पुनः अनुत्तीर्ण हैं।

(iv) दिनेश, एम0एस–सी0 (भौतिक विज्ञान) प्रथम सेमेस्टर सत्र 2016–17 में संस्थागत परीक्षार्थी के रूप में विश्वविद्यालय केन्द्र से अनुक्रमांक–1717050010014 से परीक्षा में सम्मिलित होकर अनुत्तीर्ण हुए। सत्र 2017–18 की परीक्षा में भूतपूर्व परीक्षार्थी के रूप में अनुक्रमांक–1837050010005 से परीक्षा में सम्मिलित होकर पुनः अनुत्तीर्ण हैं।

(v) मुकेश कुमार भारती, एम0एस–सी0 (भौतिक विज्ञान) प्रथम सेमेस्टर सत्र 2016–17 में संस्थागत परीक्षार्थी के रूप में विश्वविद्यालय केन्द्र से अनुक्रमांक–1717050010021 से परीक्षा में सम्मिलित होकर अनुत्तीर्ण हुए। सत्र 2017–18 की परीक्षा में भूतपूर्व परीक्षार्थी के रूप में अनुक्रमांक–1837050010003 से परीक्षा में सम्मिलित होकर पुनः अनुत्तीर्ण हैं।

तदनुसार परीक्षा समिति के विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णयः समिति ने विस्तृत विचारोपरान्त सर्वसम्मत्ति से निर्णय लिया कि सेमेस्टर परीक्षा हेतु संशोधित अध्यादेश 2016 के अनुसार किसी छात्र को प्रत्येक सेमेस्टर में एक अवसर संस्थागत, एक अवसर बैक तथा एक अवसर भूतपूर्व के रूप में परीक्षा में सम्मिलित होने की व्यवस्था है उपरोक्त समस्त छात्रों को भूतपूर्व के रूप में परीक्षा में सम्मिलित करा लिया गया है, जिसमें उपरोक्त सभी छात्र अनुत्तीर्ण हैं। अध्यादेश के अनुसार पंकज कुमार चौहान, शिवेन्द्र प्रताप राय, दीपू साहनी, दिनेश एवं मुकेश कुमार भारती को एम0एस–सी0 (भौतिक विज्ञान) प्रथम सेमेस्टर में पुनः भूतपूर्व अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा में सम्मिलित कराना नियमानुकूल नहीं है।

(छ) विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष प्रो0 विनोद कुमार सिंह का को आप्टेड सदस्य के रूप में एक वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है। परीक्षा समिति के गठन के बिन्दु संख्या–(9) "Such other teachers not exceeding two in number as may be coopted by the Examination committee to serve as members of the Committee for a period of one year." के क्रम में परीक्षा समिति में एक सदस्य को–आप्ट करने पर विचार।

निर्णयः समिति ने सर्वसम्मत्ति से विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष को, शिक्षक संघ के अध्यक्ष के रूप में परीक्षा समिति के सदस्य के लिए एक वर्ष हेतु कोआप्ट किया।

(ज) वार्षिक परीक्षा वर्ष–2018 में कुछ महाविद्यालयों में स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेशित छात्रों को आवंटित विषयों के जगह आनलाईन परीक्षाफार्म में त्रुटिवश अन्य विषय अंकित हो जाने के कारण परीक्षा केन्द्रों पर आनलाईन परीक्षाफार्म/प्रवेश पत्र/जांचपत्र में अंकित विषय के इतर (विषय परिवर्तित कर) मूल विषय में परीक्षार्थियों की परीक्षा केन्द्राध्यक्षों द्वारा सम्पन्न करा ली गयी है। महाविद्यालयों के प्राचार्यों द्वारा विषय परिवर्तन करने की संस्तुति के साथ सम्बन्धित विषयों की प्रमाणित पी–7 की छायाप्रति संलग्न कर परीक्षाफल घोषित करने का अनुरोध किया गया है। तदक्रम में विचार।

निर्णयः समिति ने विस्तृत विचारोपरान्त सर्वसम्मत्ति से निर्णय लिया कि प्राचार्य की आख्या/संस्तुति के आधार पर पी–7 के अनुसार मूल विषय से परीक्षा में सम्मिलित परीक्षार्थियों का विषय सारणीयन पंजिका में परिवर्तित कर परीक्षाफल घोषित कर दिया जाय।

अन्त में अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ समिति की बैठक सम्पन्न हुई।

परीक्षा नियंत्रक

कुलपति